रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)-73 REGISTERED No. D.(D.)-73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 36] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 19, 1981/भाद्र 28, 1903
No. 36] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 19, 1981/BHADRA 28, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

(संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं)
Orders and Notifications issued by Central Authorities (other than Administrations of Union Territories)

भारत निर्वाचन आयोग

आदेश

नई दिल्ली, 12 जून, 1981

आ० अ० 1131—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 239-रफीगंज निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री राम प्रवेश ठाकुर, रफीगंज, अब्दुलपुर, पो० रफीगंज, औरंगाबाद (बिहार) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः, अब उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री राम प्रवेश ठाकुर को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० बिहार-वि०स०/239/80(79)]

ELECTION COMMISSION OF INDIA

ORDERS

New Delhi, the 12th June, 1981

O.N. 1131.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Ram Pravesh Thakur, Rafiganj Abdulpur, P.O. Rafiganj District, Aurangbad, Bihar a contesting candidate for general election to the Legislative Assembly held in May, 1981 from 239-Rafiganj constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure :

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act the Election Commission hereby declares the said Shri Ram Pravesh Thakur to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-LA/239/80(79)]

आ० अ० 1132—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 240-ओबरा निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री शत्रुघ्न शर्मा, ग्राम मुसेपुर खैरा, पो० अरई, औरंगाबाद, बिहार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यत: उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री शत्रुघ्न शर्मा को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० बिहार–वि०स०/240/80/81)]

O.N. 1132.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Shatrughan Sharma, Village Masepur Khaira, P.O. Arai, District Aurangabad, Bihar a contesting candidate for general election to the Legislative Assembly held in May, 1981 from 240-Obra constituency, has failed to lodge an account of his election expenses in the manner as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act the Election Commission hereby declares the said Shri Shatrughan Sharma to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-LA/240/80(81)]

आ० अ० 1133—यत:, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 244-मखदुमपुर निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री मदन मोहन मिश्र, ग्राम कलानौर, पो० बीर्रा, जिला गया, बिहार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और यत:, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अत:, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री मदन मोहन मिश्र को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० बिहार–वि०स०/244/80/(82)]

O.N. 1133.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Madan Mohan Mishra, Village Kalanaur, P.O. Birra, District Gaya, Bihar a contesting candidate for general election to the Legislaive Assembly held in May, 1981 from 244-Makhdumpore constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act the Election Commission hereby declares the said Shri Madan Mohan Mishra to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-LA/244/80(82)]

नई दिल्ली, 15 जून, 1981

आ० अ० 1134—यत:, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 231-चैनपुर निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री जगरनाथ चमार, ग्राम मदुरना, पो० हाटा, जिला रोहतास, बिहार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और यत: उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ।

अत:, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री जगरनाथ चमार को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० बिहार–वि०स०/231/80(83)]

New Delhi, the 15th June, 1981

O.N. 1134.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Jagarnath Chambar, Village Madurna, P.O. Hata, District Rohtas, Bihar a contesting candidate for general election to the Legislative Assembly held in May, 1980 from 231-Chainpur constituency has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satsfied that he has no good reason or justfication for the failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act the Election Commission hereby declares the said Shri Jagarnath Chamar to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-LA/231/80(83)]

आ० अ० 1135.—यत:, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 231-चैनपुर निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री देवचरण लाल, ग्राम किलनी, पो० चान्द, जिला रोहतास, बिहार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और यत:, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री देवचरण लाल को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० बिहार–वि०स०/231/80(84)]

O.N. 1135.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Deocharan Lal, Village Kilani, P. O. Chand, District Rohtas, Bihar a contesting candidate for general election to the Legislative Assembly held in May, 1980 from 231-Chainpur constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act the Election Commission hereby declares the said Shri Deocharan Lal to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-LA/231/80(84)]

आ० अ० 1136—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 231-चैनपुर निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री बंशीधर सिंह, ग्राम हमीरपुर, पो० भरारी जिला रोहतास, बिहार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री बंशीधर सिंह को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० बिहार-वि०स०/231/80/(85)]

O.N. 1136.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Bansidhar Singh, Village Hamirpur, P.O. Bharari, District Rohtas Bihar a contesting candidate for general election to the Legislative Assembly held in May, 1980 from 231-Chainpur constiteuncy, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act the Election Commission hereby declares the said Shri Bansidhar Singh to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-LA/231/80(85)]

आ० अ० 1137—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 231-चैनपुर निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री साहे जमा खां, ग्राम सिकन्दरपुर, पो० सिकन्दरपुर, जिला रोहतास, बिहार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री साहे जमा खां को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० बिहार-वि०स०/231/80(86)]

O.N. 1137.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Sahejama Khan, Village Sikandarpur, P.O. Sikandarpur, District Rohtas, Bihar a contesting candidate for general election to the Legislative Assembly held in May, 1980 from 231-Chainpur constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act the Election Commission hereby declares the said Shri Sahejama Khan to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-LA/231/80(86)]

नई दिल्ली, 16 जून, 1981

आ० अ० 1138—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 234-नोखा निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री हरिशंकर मिश्र, ग्राम व पो० ऐघरा, जिला रोहतास, बिहार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री हरि शंकर मिश्र को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० बिहार-वि० स०/234/80(87)]

New Delhi, the 16th June, 1981

O.N. 1138.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Hari Shankar Mishra, Village and P.O. Eghata, District Rohtas, Bihar a contesting candidate for general election to the Legislative Assembly held in May, 1980 from 234-Nokha constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act the Election Commission hereby declares the said Shri Hari Shankar Mishra to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-LA/234/80(87)]

नई दिल्ली, 17 जून, 1981

आ०अ० 1139.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 213—पालीगंज निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री अभिमन्यु शर्मा, ग्राम—पो० काब, जिला पटना (बिहार) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा उद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 10—क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री अभिमन्यु शर्मा को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० बिहार-वि०स०/213/80(88)]

New Delhi, the 17th June, 1981

O.N. 1139.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Abhimanu Sharma, Village and P.O. Kab, District Patna, Bihar a contesting candidate for general election to the Legislative Assembly held in May, 1980 from 213-Paliganj constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representative of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas thet said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act the Election Commissioin hereby declares the said Shri Abhimanu Sharma to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-LA/213/80(88)]

आ०अ० 1140—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 213-पालीगंज निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री राम चन्द्र बिन्द, ग्राम—पो० जरखा, थाना पालीगंज, जिला पटना, बिहार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ,

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10—क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री राम चन्द्र बिन्द को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० बिहार-वि०स०/213/80(89)]

O.N. 1140.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Ram Chandra Bind, Village and P.O. Jarkha, P. S. Paliganj, Patna, Bihar a contesting candidate for general election to the Legislative Assembly held in May, 1980 from 213-Paliganj constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act the Election Commission hereby declares the said Shri Ram Chandra Bind to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-LA/213/80(89)]

नई दिल्ली, 18 जून, 1981

आ०अ० 1141.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 228-रामगढ़ निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री देवनाथ सिंह यादव ग्राम देवकली, पो० अकोढ़ा, जिला रोहतास, बिहार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीनी बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री देवनाथ सिंह यादव को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० बिहार-वि०स०/228/80(91)]

New Delhi, the 18th June, 1981

O.N. 1141.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Deonath Singh Radav, Village Deokali, P.O. Akorhi, District Rohtas (Bihar) a contesting candidate for general election to the Legislative Assembly held in May, 1980 from 228-Ramgarh constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act thet Election Commission hereby declares the said Shri Deonath Singh Yadav to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of thet Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-LA/228/80(91)]

आ०अ० 1142.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 228—रामगढ़ निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री भृगु नाथ सिंह, ग्राम—पो० रामगढ़, जिला रोहतास, बिहार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10—क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री भृगु नाथ सिंह को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० बिहार-वि०स०/228/80(92)]

O.N. 1142.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Bhirgoo Nath Singh, Village and P. O. Ramgarh, District Rohtas, Bihar a contesting candidate for general election to the Legislative Assembly held in May, 80 from 228 Ramgarh constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and thet Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act the Election Commission hereby declares the said Shri Bhirgoo Nath Singh to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-LA/228/80(92)]

आ०अ० 1143.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 228—रामगढ़ निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री सुवास तिवारी, ग्राम चिन्तामन पुर, पो० अखिनी, रोहतास (बिहार) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10—क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री सुवास तिवारी को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० बिहार-वि०स०/228/80(93)]

O.N. 1143.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Subash Tewari, Village Chintamanpur, P.O. Akhini, District Rohtas, Bihar a contesting candidate for general election to the Legislative Assembly held in May, 1980 from 228-Ramgarh constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act the Election Commission hereby declares the said Shri Subash Tewari to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-LA/228/80(93)]

आ०अ० 1144.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 228—रामगढ़ निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह, ग्राम झुझारपुर, पो० अखिनी, रोहतास (बिहार) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10—क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० बिहार-वि०स०/228/80(94)]

O.N. 1144.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Surendra Pratap Singh, Village Jhujharpur, P. O. Akhini, District Rohtas (Bihar) a contesting candidate for general election to the Legislative Assembly held in May, 1980 from 228-Ramgarh constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act the Election Commission hereby declares the said Shri Surendra Pratap Singh to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-LA/228/80(94)]

आ०अ० 1145.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 253—बोधगया (अ०जा०) निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री सीताराम दुसाध, ग्राम मलमारी, पो० लक्ष्मीपुर, थाना टिकरी, जिला गया (बिहार) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री सीता राम दुसाध को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० बिहार-वि०स०/253/80(90)]

O.N. 1145.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Sitaram Dusadh, Village Malsari, P. O. Lakshmipur, P. S. Tikari, District Gaya (Bihar) a contesting candidate for general election to the Legislative Assembly held in May, 1980 from 253-Bodhgaya (SC) constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act the Election Commission hereby declares the said Shri Sitaram Dusadh to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-LA/253/80(90)]

नई दिल्ली, 22 जून, 1981

आ०अ० 1146.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 240-ओबरा निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री राम जनम शर्मा, ग्राम मखरा, पो० सिहाड़ी, थाना दाउदनगर, औरंगाबाद, बिहार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिये जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और उक्त उम्मीदवार द्वारा दिए अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात् निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री राम जनम शर्मा को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० बिहार-वि०स०/240/80(100)]

New Delhi, the 22nd June, 1981

O.N. 1146.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Ram Janam Sharma, Village, Makhara, P. O. Sihari, District Aurangabad, Bihar a contesting candidate for general election to the Legislative Assembly held in May, 1980 from 240-Obra constituency, has failed to lodge an account of his election expenses in the manner as required by the Representation of the people Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whreas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act the Election Commission hereby declares the said Shri Ram Janam Sharma to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-LA/240/80(100)]

नई दिल्ली, 30 जून, 1981

आ०अ० 1147.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 237-देव (अ०जा०) निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री मोहन राम ग्राम चिल्हकी, पो० अम्बा, जिला औरंगाबाद, बिहार लोक सभा प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं,

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उनके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री मोहनराम को संसद के किसी भी सदन के या किसी विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० बिहार-वि०स०/237/80(110)]

New Delhi, the 30th June, 1981

O.N. 1147.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Mohan Ram, Village Chilhki, P. O. Amba, District Aurangabad, Bihar a contesting candidate for general election to the Legislative Assembly held in May, 1980 from 237-Deo (SC) constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act the Election Commission hereby declares the said Shri Mohan Ram to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-LA/237/80(110)]

नई दिल्ली, 4 जुलाई 1981

आ०अ० 1148.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 247-बेलागंज निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री शहरुद्दीन, ग्राम, पोस्ट बरौनी, जिला गया (बिहार) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि उनके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री शहरुद्दीन को संसद के किसी भी सदन के

या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० बिहार-वि०स०/247/80(122)]

New Delhi, the 4th July, 1981

O.N. 1148.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Shehruddin, Village and P. O. Chandauti, District Gaya, Bihar a contesting candidate for general election to the Legislative Assembly held in May, 1980 from 247-Belaganj constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act the Election Commission hereby declares the said Shri Shahruddin to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-LA/247/80(122)]

आ०अ० 1149—यत, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 247-बेलागज निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री मो० नेहालुदिन, ग्राम चातरघाट, पो० लक्ष्मीपुर, चन्दौती, जिला गया बिहार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययो का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यत, उक्त उम्मीदवार ने सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नही दिया है और निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नही हैं;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण मे निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री मो० नेहालुदिन को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० बिहार-वि०स०/247/80(123)]

O.N. 1149.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Md. Nehaluddin, Village Chatarghat, P.O. Lakshmipur, Chandauti, Gaya, Bihar a contesting candidate for general election to the Legislative Assembly held in May, 1980 from 247-Belaganj constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Md. Nehaluddin to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-LA/247/80(123)]

आ०अ० 1150:—यत, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 247-बेलागंज निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री बाल्मीकी शर्मा, ग्राम, पोस्ट मुसी, थाना टिकारी, जिला गया, बिहार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययो का कोई भी लेखा दाखिल करने मे असफल रहे है;

और यत, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है,

अत अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण मे निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री बाल्मीकी शर्मा को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० बिहार-वि०स०/247/80(124)]

O.N. 1150.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Balyamiki Sharma, Village and P.O. Musi, P.S. Tikari, District Gaya, Bihar a contesting candidate for general election to the Legislative Assembly held in May, 1980 from 247-Belaganj constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursunce of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Balyamiki Sharma to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-LA/247/80(124)]

आ०अ० 1151—यत, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 मे हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 247-बेलागज निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री उमेश कुमार सिह, ग्राम बिन्दौल, पोस्ट खिनरसराय, जिला गया, बिहार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे है;

और यत, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नही दिया है और निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नही है;

अत अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री उमेश कुमार सिह को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० बिहार-वि०स०/247/80(125)]

O.N. 1151.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Umesh Kumar Singh, Village Bindaul, P.O. Khisersarai, District Gaya, Bihar a contesting candidate for general election to the Legislative Assembly held in May, 1980 from 247-Belaganj constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act the Election Commission hereby declares the said Shri Umesh Kumar Singh to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-LA/247/80(125)]

आ०अ० 1152—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 247-बेलागंज निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री राजदेव प्रसाद वर्मा, ग्राम बभनाटोला महमदपुर पोस्ट पनदुई, थाना जहानाबाद, जिला गया, बिहार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और उक्त उम्मीदवार द्वारा दिये गए अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात् निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री राजदेव प्रसाद वर्मा को संसद के किसी भी सदन का या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० बिहार-वि०स०/247/80(126)]

O.N. 1152.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Rajdeo Prasad Verma, Village Babhnatola Mahmadpur, Post Pandui, P.S. Jehanabad, District Gaya, Bihar a contesting candidate for general election to the Legislatve Assembly held in May, 1980 from 247-Belaganj constituency, has failed to lodge an account of his election expenses within manner as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas the said candidate, even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure ,

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act the Election Commission hereby declares the said Shri Rajdeo Prasad Verma to be disqualified for being chosen as and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-LA/247/80(126)]

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 1981

आ०अ० 1153—यतः, निर्वाचन आयोग को समाधान हो गया है कि जनवरी, 1980 में हुए लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 40-औरंगाबाद निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री अनूप नारायण, चित्रगुप्त नगर, क्लब रोड़, औरंगाबाद, बिहार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री अनूप नारायण को संसद के किसी भी सदन या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० बिहार-लो०स०/40/80(26)]

New Delhi, the 22nd July, 1981

O.N. 1153.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Anup Narain, Chitargupt Nagar, Club Road, Aurangabad, Bihar a contesting candidate for general election to the Lok Sabha held in January, 1980 from 40-Aurangabad constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act the Election Commission hereby declares the said Shri Anup Narain to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-HP-A/40/80(26)]

नई दिल्ली, 23 जुलाई, 1981

आ०अ० 1154—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 40 जलालपुर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री सुरेन्द्र सिंह, ग्राम विशनपुरा, पो० जलालपुर, जिला सारण, बिहार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और यतः उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री सुरेन्द्र सिंह को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० बिहार-वि०स०/40/80(140)]

New Delhi, the 23rd July, 1981

O.N. 1154.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Surendra Singh, Village Vishunpura, P.O. Jalalpur, District Saran, Bihar a contesting candidate for general election to the Legislative Assembly held in May, 1980 from 40-Jalalpur constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the people Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act the Election Commission hereby declares the said Shri Surendra Singh to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-LA/40/80(140)]

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 1981

आ०अ०1155:—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 272-बगोदर निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री शिव टहल मंडल, ग्राम मंदरामो, पोस्ट केशवारी, जिला गिरिडीह, बिहार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित समय के अन्दर तथा रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं,

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री शिव टहल मंडल को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० बिहार-वि०स०/272/80(143)]

New Delhi, the 25th July, 1981

O.N. 1155.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Sheo Tehal Mandal, Village Mandramo, P.O. Keshwari, District Giridih, Bihar a contesting candidate for general election to the Legislative Assembly held in May, 1980 from 272-Bagodar constituency, has failed to lodge an account of his election expenses within the time and in the manner as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act the Election Commission hereby declares the said Shri Sheo Tehal Mandal to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-LA/272/80(143)]

आ० अ० 1156:—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 272-बगोदर निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री हरगोविन्द यादव, ग्रा० व पो० बगोदर, जिला गिरिडीह, (बिहार) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं,

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री हरगोविन्द यादव को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० बिहार-वि०स०/272/80(144)]

O.N. 1156.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Hargovind Yadav, Village and P.O. Bagodar, District Giridih, Bihar a contesting candidate for general election to the Legislative Assembly held in May, 1980 from 272-Bagodar constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act the Election Commission hereby declares the said Shri Hargovind Yadav to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-LA/272/80(144)]

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 1981

आ० अ० 1157:—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 124-रूपौली निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री लाल मुहम्मद शेख, ग्राम भंडसार, पोस्ट चपहरी, भवानीपुर, पूर्णिया, बिहार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं।

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री लाल मुहम्मद शेख को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० बिहार-वि०स०/124/80/(152)]

New Delhi, the 28th July, 1981

O.N. 1157.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Lal Mohamad Sheikh, Village Bhandsar P.O. Chapahari, Bhawanipur, Purnea, Bihar a contesting candidate for general election to the Legislative Assembly held in May, 1980 from 124-Rupauli constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act the Election Commission hereby declares the said Shri Lal Mohamad Sheikh to be disqualified for being chosen, as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-LA/124/80(152)]

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 1981

आ० अ० 1158:—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 286 चन्दनकियारी, (अ० जा०) निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री घोषाल चन्द्र रजवार, ग्राम परवहाल, पोस्ट बरमसिया,

थाना चन्दनकियारी, धनबाद, बिहार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तदधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे है।

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री घोषाल चन्द्र रजवार को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[संख्या बिहार-वि०स०/286/80(157)]

New Delhi, the 29th July, 1981

O.N. 1158.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Goshal Chandra Rajwar, Village Parawahal, P.O. Varmasin, Thana Chandankiyari, Dhanbad (Bihar), a contesting candidate for general election to the Legislative Assembly held in May, 1980 from 286-Chandankiyari (SC) constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Ghoshal Chandra Rajwar to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-LA/286/80(157)]

आ० अ० 1159 :— यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 286 चन्दन कियारी (अ० जा० निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव) लड़ने वाले उम्मीदवार श्री महिन्दी रजवार, ग्राम बरकामा (टोला परबाद), पोस्ट चन्दनकियारी, जिला धनबाद (बिहार) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तदधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिए जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री महिन्दी रजवार को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान-सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[संख्या बिहार-वि०स०/286/80 (158)]

O.N. 1159.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Mahindi Rajwar, Village Barakama (Tola Parbad), P.O. Chandankivari, District Dhanbad (Bihar), a contesting candidate for general election to the Legislative Assembly held in May, 1980 from 286-Chandankivari (SC) constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act the Election Commission hereby declares the said Shri Mahindi Rajwar to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-LA/286/80(158)]

आ० अ० 1160—:—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 286-चन्दनकियारी (अ० जा०) निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री सुफल रजक, ग्राम मजूरडूबी पोस्ट आमबीहा, थाना चन्दनकियारी धनबाद (बिहार) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तदधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री सुफल रजक को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

(सं० बिहार-वि०स०/286/80 (159))

O.N. 1160.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Suphal Rajak, Village Majurdubi, P.O. Ambiha, Thana Chandankiyari, Dhanbad (Bihar) contesting candidate for general election to the Legislative Assembly held in May, 1980 from 286-Chandankiyari (SC) constiuency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the falure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act the Election Commission hereby declares the said Shri Suphal Rajak to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-LA/286/80(159)]

आ० अ० 1161—:—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 206-पटना पश्चिमी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री मो० गफ्फार, ग्राम समनपुरा, पोस्ट बी० वी० कालेज, पटना-14 (बिहार) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तदधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं।

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री मो० गफ्फार को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[संख्या बिहार वि०स०/206/80 (160)]

O.N. 1161.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Md. Gaffar, Village Samanpura, P.O. B.V. College, Patna-14, (Bihar) a contesting candidate for general election to the Legislative Assembly held in May, 1980 from 206-Patna West constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justication for the failure,

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act the Election Commission hereby declares the said Shri Md. Gaffar to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-LA/206/80(160)]

आ० अ० 1162—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 206—पटना पश्चिमी निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री राम प्रवेश सिंह, विजय मिनी मार्केट, जी० पी० ओ०, पटना बिहार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं,

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री राम प्रवेश सिंह को संसद के किसी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[संख्या बिहार वि०स०/206/80 (161)]

O.N. 1162.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Ram Pravesh Singh, Vijay Mini Market, G.P.O., Patna (Bihar) a contesting candidate for general election to the Legislative Assembly held in May, 1980 from 206-Patna West constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act the Election Commission hereby declares the said Shri Ram Pravesh Singh to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-LA/206/80(161)]

आ०अ० 1163.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए बिहार-विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 206-पटना पश्चिमी निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री सिया राम राय, गोसाई टोला, सदाकत-आश्रम, पटना (बिहार) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री सिया राम राय को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[संख्या बिहार-वि०स०/206/80(162)]

आदेश से,

सतीश चन्द्र जैन, अवर सचिव

O.N. 1163.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Siya Ram Rai, Gosai Tola, Sadakat Ashram, Patna (Bihar) a contesting candidate for general election to the Legislative Assembly held in May, 1980 from 206-Patna West constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act the Election Commission hereby declares the said Shri Siya Ram Rai to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-LA/206/80(162)]

By Order,

S. C. JAIN, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 25 जुलाई, 1981

आ०अ० 1164.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए महाराष्ट्र विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 45 बोरीवली निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री आर०सी० शर्मा, विद्या भवन, कटकीपाडा, दहीसार (पूर्व) बम्बई-68 (महाराष्ट्र) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तदधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि उसके पास इस सफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री आर०सी० शर्मा को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० महा-वि०स०/45/80(144)]

ORDERS

New Delhi, the 25th July, 1981

O.N. 1164.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri R. C. Sharma, Vidya Bhawan, Ketkipada, Dahisar (East), Bombay-68 (Maharashtra) a contesting candidate for general election to the Maharashtra Legislative Assembly held in May, 1980 from 45-Borivali constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri R. C. Sharma to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. MT-LA/45/80(144)]

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 1981

आ०अ० 1165—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए महाराष्ट्र विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 49-कुर्ला विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री डोंगरे शेषराव, हिन्दुस्तान कम्पनी, सा मिल कम्पाउण्ड, एल०बी० शास्त्री मार्ग, विखरोली, बम्बई-83 (महाराष्ट्र) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने मे असफल रहे हैं।

और यतः, उक्त उम्मीदवार द्वारा दिए गए अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री डोंगरे शेषराव को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० महा-वि०स०/49/80(157)]

New Delhi, the 31st July, 1981

O.N. 1165.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Dongre Sheshrao, Hindustan Co., Saw Mill Compound, L.B. Shastri Marg, Vikhroli, Bombay-83, a contesting candidate for general election to the Maharashtra Legislative Assembly held in May, 1980 from 49-Kurla Assembly Constituency, has failed to lodge an account of his election expenses within the manner as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, after considering the representation made by the said candidate, the Election Commission is further satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Dongre Sheshrao to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. MT-LA/49/80(157)]

नई दिल्ली, 1 अगस्त 1981

आ०अ० 1166.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए महाराष्ट्र विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 186-जालना निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री शिंडे दिगम्बर शिरंग, सदर बाजार, जालना, जिला औरंगाबाद (महाराष्ट्र) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री शिंडे दिगम्बर शिरंग को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० महा-वि०स०/186/80(153)]

New Delhi, the 1st August, 1981

O.N. 1166.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Shinde Digamber Shrirang, Sadar Bazar, Jalna, District Aurangabad (Maharashtra) a contesting candidate for general election to the Maharashtra Legislative Assembly held in May, 1980 from 186-Jalna Constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Shinde Digamber Shrirang to be disqualified for being chosen, as, and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. MT-LA/186/80(153)]

आ०अ० 1167—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए महाराष्ट्र विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 52-मुलन्द निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री पाटिल सुरेश बाकरू, पटेल निवास, डा० राजेन्द्र प्रसाद रोड, मुलन्द (पश्चिम), बम्बई-80 (महाराष्ट्र) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे है,

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नही दिया है और निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण मे निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री पाटिल सुरेश बाकरू को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० महा-वि०स०/52/80(154)]

O.N. 1167.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Patil Suresh Bakru, Patil Niwas, Dr. Rajendra Prasad Road, Mulund (West) Bombay-80 (Maharashtra) a contesting candidate for general election to the Maharashtra Legislative Assembly held in May, 1980 from 52-Mulund Constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Patil Suresh Bakru to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. MT-LA/52/80(154)]

आ०अ० 1167.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए महाराष्ट्र विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 52-मुलन्द निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्रीमती यशोदा रतन भूटानी 87/5, आगरा रोड, मुलन्द कालोनी, मुलन्द, बम्बई-82 (महाराष्ट्र) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे है,

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है—,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्रीमती यशोदा रतन भूटानी को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० महा-वि०स०/52/80(155)]

O.N. 1168.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shrimati Yashoda Ratan Butani, 87/5, Agra Road, Mulund Colony, Mulund, Bombay-82 (Maharashtra) a contesting candidate for general election to the Maharashtra Legislative Assembly held in May, 1980 from 52-Mulund Constituency, has failed to lodge an account of her election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder,

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that she has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Smt. Yashoda Ratan Butani to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. MT-LA/52/80(155)]

आ०अ० 1169.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए महाराष्ट्र विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 52-मुलन्द निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री राजन माधवन, सी-7 ओम कैलाश गंगा कोआपरेटिव हाउसिंग सोसायटी देवी दयाल रोड, मुलन्द, बम्बई-80 (महाराष्ट्र) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल दाखिल करने में असफल रहे हैं—

और यतः उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री राजन माधवन को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० महा-वि०स०/52/80(156)]

O.N. 1169.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Rajan Madhavan, C-7, Om Kailash Ganga Cooperative Housing Society, Devi Dayal Road, Mulund, Bombay-80 (Maharashtra) a contesting candidate for general election to the Maharashtra Legislative Assembly held in May, 1980 from 52-Mulund Constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Rajan Madhavan to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. MT-LA/52/80(156)]

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 1981

आ०अ० 1170.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए महाराष्ट्र विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 180-कलमनूरी निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री निरलीकार माधवराव देवराव, गौतम भवन, पुरना, तालुका पारमानी, जिला पारमनी (महाराष्ट्र) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री निरलीकार माधवराव देवराव को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० महा-वि०स०/180/80(158)]

New Delhi, the 7th August, 1981

O.N. 1170.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Nerlikar Madhaorao Devrao, R/o Gautam Bhawan, Purna, Tq. Parbhani, Distt. Parbhani (Maharashtra), a contesting candidate for general election to the Maharashtra Legislative Assembly held in May, 1980 from 180-Kalamnuri Constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Nerlikar Madhaorao Devrao to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of his order.

[No. MT-LA/180/80(158)]

आ० अ० 1171.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए महाराष्ट्र विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 183-पाथरी निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री काम्बले मरोतराव नामदेवराव, मु० व डा० पाथरी, तालुका पाथरी, जिला परभनी (महाराष्ट्र) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री काम्बले मरोतराव नामदेवराव को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[(सं० महा-वि०स०/183/80(159)]

O.N. 1171.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Kamble Maitrao Namdeorao, At and Post Pathri, Tq. Pathri, Distt. Parbhani (Maharashtra), a contesting candidate for general election to the Maharashtra Legislative Assembly held in May, 1980 from 183-Pathri Constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Kamble Marotrao Namdeorao to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Lgislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. MT-LA/183/80(159)]

आ०अ० 1172 यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए महाराष्ट्र विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 184-पारतुर निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री उबाले रामराव भाऊराव, डा० पारतुर जिला परभानी (महाराष्ट्र) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री उबाले रामराव भाऊराव को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० महा०-वि०स०/184/80(160)]

O.N. 1172.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Ubale Ramrao Bhaurao, Post Partur, District Parbhani (Maharashtra) a contesting candidate for general election to the Maharashtra Legislative Assembly held in May, 1980 from 184-Partur constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas the said candidate, even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Ubale Ramrao Bhaurao to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. MT-LA/184/80(160)]

आ०अ० 1173.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए महाराष्ट्र विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 184-पारतुर निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री महादेव काडुजी सोनोने, डा० पारतुर, जिला परभानी (महाराष्ट्र) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं,

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री महादेव काडुजी सोनोने को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० महा०वि०स०/184/80(161)]

O.N. 1173.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Mahadeo Kaduji Sonone, Post Partur, District Parbhani (Maharashtra) a contesting candidate for general election to the Maharashtra Legislative Assembly held in May, 1980 from 184-Partur constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas the said Candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Mahadeo Kaduji Sonone to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. MT-LA/184/80(161)]

नई दिल्ली, 12 अगस्त, 1981

आ०अ० 1174—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए महाराष्ट्र विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 285 कारवीर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री उत्लापे लक्ष्मण राव सखाराम उत्लापेमाला, सुगर मिल के बवाड़ा कोल्हापुर, जिला कोल्हापुर (महाराष्ट्र) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यत, उक्त उम्मीदवार द्वारा किए गए अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अत अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री उलापेलक्ष्मणराव सखाराम को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० महा०वि०स०/285/80(162)]

New Delhi, the 12th August, 1981

O.N. 1174.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Ulape Laxmanrao Sakharam, Ulapemala, Sugar Mill, K. Bavada, Kolhapur, Kolhapur District (Maharashtra) a contesting candidate for general election to the Maharashtra Legislative Assembly held in May, 1980 from 285-Karvir Constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, after considering the representation made by the said candidate, the Election Commission is further satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Ulape Laxmanrao Sakharam to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. MT-LA/285/80(162)]

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 1981

आ०अ० 1175.—यत, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए महाराष्ट्र विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 245-हवेली निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री बापू गवाड़े, आई-113, एच० ए० कालोनी पिमपरी, पूने-18, जिला पूने महाराष्ट्र, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यत: उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अत अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री बापू गवाड़े को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० महा०वि०स०/245/80/(163)

New Delhi, the 14th August, 1981

O.N. 1175.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Bapu Gawade, I-113, H. A. Colony, Pimpri, Pune-18, District Pune (Maharashtra) a contesting candidate for general election to the Maharashtra Legislative Assembly held in May, 1980 from 245-Haveli Constituency, has failed to lodge an account of his election expenses in the manner as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Bapu Gawade to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. MT-LA/245/80(163)]

नई दिल्ली, 18 अगस्त, 1981

आ०अ० 1176 यत, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई 1980 में हुए महाराष्ट्र विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 129-वार्धा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री वेरागाड़े सागर रामा, धमोली (मेघे) डा० कोटम्बा, तालुका और जिला वार्धा (महाराष्ट्र) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तदधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे है,

और यत: उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है,

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण मे निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री वेरागाड़े सागर रामा को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० महा०वि०स०/129/80(164)]

New Delhi, the 18th August, 1981

O.N. 1176.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Valragade Sagar Rama, Dhamoli (Meghe), Post Kotamba, Tal. and Distt. Wardha (Maharashtra), a contesting candidate for general election to the Maharashtra Legislative Assembly held in May, 1980 from 129-Wardha Constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Valragade Sagar Rama to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. MT-LA/129/80(164)]

नई दिल्ली, 19 अगस्त, 1981

आ०अ० 1177.—यत:, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए महाराष्ट्र विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 32-बादर निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्रीमती नेलंग सरोज देवीदास गंगा निवास रानाडे रोड, बम्बई-28 (महाराष्ट्र) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 था तदधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यत, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्रीमती तेलंग सरोज देवीदास को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० महा-वि०स०/32/80/(165)]

New Delhi, the 19th August, 1981

O.N. 1177.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shrimati Telang Saroj Devidas, Ganga Niwas, Ranade Road, Bombay-28 (Maharashtra), a contesting candidate for general election to the Maharashtra Legislative Assembly held in May, 1980 from 32-Dadar Constituency, has failed to lodge an account of her election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that she has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shrimati Telang Saroj Devidas to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. MT-LA/32/80/165)]

नई दिल्ली, 20 अगस्त, 1981

आ०अ० 1178.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए महाराष्ट्र विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 99-यावल निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री देशमुख गंगाधर नाथु 407, नवीपेठ जयकिसन वाड़ी, जलगाव जिला जलगाव (महाराष्ट्र), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री देशमुख गंगाधर नाथु को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० महा-वि०स०/99/80(166]

New Delhi, the 20th August, 1981

O.N. 1178.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Deshmuk Gangadhar Nathu, 407, Navipet, Jai Kisanwadi, Jalgaon, District Jalgaon (Maharashtra), a constesting candidate for general election to the Maharashtra Legislative Assembly held in May, 1980 from 99-Yawal Constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whtreas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Desmukh Gangadhar Nathu to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of Parliament or of the Leggislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. MT-LA/99/80(166)]

आ० अ० 1179.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए महाराष्ट्र विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 99-यावल निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री मोनावेन प्रभाकर जंगलू, वादरी, तालुका यावल, जिला जलगांव (महाराष्ट्र), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे है,

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री सोनावेन प्रभाकर जगंलू को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० महा-वि०स०/99/80(167)]

आदेश से,

धर्म वीर, अवर सचिव

O.N. 1179.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Sonawane Prabhakar Jangalu, Vadri, Tal. Yawal, Distt. Jalgaon (Maharashtra), a contesting candidate for general election to the Maharashtra Legislative Assembly held in May, 1980 from 99-Yawal Constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Sonawane Prabhakar Jangalu to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. MT-LA/99/80(167)]

By order,

DHARAM VIR, Under Secy.

नई दिल्ली, 3 सितम्बर, 1981

आ०अ० 1180— लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 106 के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग 1980 की निर्वाचन अर्जी सं० 7 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ बैंच के तारीख 10 जुलाई, 1981 का निर्णय एतद्द्वारा प्रकाशित करता है।

निर्वाचन अरजी संख्या 7-1980

नेमचन्द जैन बनाम पशुपति नाथ शुक्ल

माननीय श्री महाबीर सिंह, न्यायमूर्ति

यह निर्वाचन अरजी प्रार्थी ने प्रतिपक्षी नं० 1 श्री पशुपति नाथ शुक्ल के जून 1980 में उत्तर प्रदेश राज्य विधान सभा क्षेत्र से राज्य सभा के लिये चुने जाने के खिलाफ की है।

सम्बन्धित तथ्य इस प्रकार है। इस चुनाव से पहले श्री कमलापति त्रिपाठी राज्य सभा के सदस्य थे। उन्होंने उसने त्यागपत्र दे दिया था और उस रिक्त को पूरा करने के लिय यह उप चुनाव हुआ था। दिनांक 17-6-80 को चुनाव आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 147 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते

हुए यह अधिसूचना जारी की कि वे उत्तर प्रदेश राज्य विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों से यह अपेक्षा करते हैं कि वे इस रिक्ति को पूरा करने के लिए दिनांक 7-7-1980 के पूर्व एक व्यक्ति निर्वाचित कर दें। उसी सम्बन्ध में उन्होंने इस निर्वाचन का कार्यक्रम भी निम्न प्रकार निश्चित किया :—

क- नाम निर्देशित (Nominatiny) करने की अन्तिम तिथि 24-6-80।

ख- नाम निर्देशन की संवीक्षा (Scrutiny) की तिथि 25-6-80

ग- अभ्यर्थन (Candidature) वापिस लेने की अन्तिम तिथि 27-6-80।

घ- वह तिथि जिसको, यदि आवश्यक हुआ, मतदान होगा 4-7-80

ङ. वह तिथि जिसके पूर्व निर्वाचन समाप्त कर दिया जायगा। 7-7-80।

उसी दिन निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश सरकार के परामर्श से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री एस० पी० सिंह, सचिव, उत्तर प्रदेश विधान सभा लखनऊ, प्रतिपक्षी नं० 5 को इस निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर नियुक्त किया। श्री एस० पी० सिंह ने उसी दिन अर्थात् दिनांक 17-6-1980 को नोटिस जारी किया और अभ्यर्थियों से 24-6-80 को तीन बजे दिन के समय तक नामांकन पत्र मांगे।

प्रार्थी व प्रतिपक्षी नं० 1 दोनों ने अपने-अपने नाम निर्देशन पत्र (Nomination paper) दिनांक 24-6-1980 को दाखिल किये। दिनांक 25-6-80 को उनकी जांच के समय प्रार्थी की ओर से प्रतिपक्षी नं० 1 के नाम निर्देशन पत्र के खिलाफ कुछ आपत्तियां उठाई गई जिनमें इस अरजी के लिए एक ही आपत्ति संगत है वह यह है कि जिन सदस्यों ने प्रतिपक्षी नम्बर 1 का नामांकन पत्र का प्रस्ताव किया है वे ऐसा करने के लिए सक्षम नहीं थे क्योंकि तब तक उन चुने हुए सदस्यों ने शपथ नहीं ली थी। रिटर्निंग आफिसर ने प्रार्थी की आपत्ति को अस्वीकार किया। तदनुसार दिनांक 4-7-1980 को चुनाव हुआ और उनमें प्रार्थी को 41 मत मिले तथा प्रतिपक्षी नं० 1 को 325 मत मिले। प्रतिपक्षी नं० 1 को रिटर्निंग आफिसर ने निर्वाचित घोषित किया। दिनांक 12-8-1980 को प्रार्थी ने यह निर्वाचन अरजी दाखिल की।

प्रार्थी का यह कहना था कि विधान सभा के सदस्यों का चुनाव जून 1980 के प्रथम सप्ताह में हुआ, वह सब अवैध था। इस सम्बन्ध में उन्होंने बताया कि 17-2-1980 को पहली विधान सभा राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत अधिसूचना जारी करके भंग कर दी थी और उसके अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल की सब शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हो गई थीं। अतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 15(2) के अधीन मिली शक्ति जो राज्यपाल को चुनाव के लिए अधिसूचना जारी करने के लिए मिली हुई हैं, वह भी राष्ट्रपति में निहित हो गई थी। इसलिये आम चुनाव की अधिसूचना जो दिनांक 25-4-1980 को राज्यपाल द्वारा जारी की गई थी वह अवैध थी। राज्यपाल ने इस अधिसूचना जारी करने के लिये राष्ट्रपति से कोई पूर्व स्वीकृति नहीं ली थी। निर्वाचन आयोग ने भी राज्यपाल से ही इस चुनाव के सम्बन्ध में अधिसूचना जारी करने के लिए प्रार्थना की थी जबकि उनको ऐसी प्रार्थना राष्ट्रपति से करनी चाहिए थी। इसलिए उन अधिसूचना के अन्तर्गत हुए चुनाव में चुने गये सदस्यों का चुनाव ही अवैध था और इसलिए उनमें से किसी को भी इस पर राज्य सभा के चुनाव में भाग लेने का कोई अधिकार नहीं था।

दूसरी आपत्ति प्रार्थी की ओर से यह थी कि श्री एस० पी० सिंह को इस चुनाव के लिये रिटर्निंग आफिसर नियुक्त नहीं किया जा सकता था क्योंकि धारा 21 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अन्तर्गत केवल सरकारी आफिसर (Govt. Officer) ही ऐसा अफसर नियुक्त हो सकता था और श्री एस० पी० सिंह विधान सभा के सचिव थे, सरकारी आफिसर नहीं।

तीसरी आपत्ति प्रार्थी की ओर से यह की गई कि जिस समय प्रतिपक्षी नं० 1 के लिए सदस्यों ने नामांकन पत्र दाखिल किये, उस समय तक उन्होंने विधान-सभा का सदस्य होने की शपथ संविधान के अनुसार नहीं ली थी। (यह शपथ दिनांक 27-6-80 को ली गई) इसलिये 24-6-80 को जो नामांकन पत्र विपक्षी नम्बर 1 का दाखिल था हैं, वह अवैध था और इसलिए रिटर्निंग आफिसर ने उनकी आपत्ति को अस्वीकार करके कानूनी गलती की हैं।

अन्तिम आपत्ति इस सम्बन्ध में एक और यह थी कि जो निर्वाचन नामावली (electoral roll) तैयार की गई थी वह भी अवैध थी। उनका यह कहना था कि यह नामावली रिटर्निंग आफिसर द्वारा ही तैयार की जा सकती थी लेकिन उनकी नियुक्ति से पहले ही करीब 11 बजे यह नामावली वितरित कर दी गई थी।

प्रार्थी ने इस निर्वाचन अरजी में प्रतिपक्षी नं० 1 के अतिरिक्त चुनाव आयोग (प्रतिपक्षी नं० 2), उत्तर प्रदेश सरकार (प्रतिपक्षी नं० 3), उत्तर प्रदेश के राज्यपाल (प्रतिपक्षी नं० 4) तथा रिटर्निंग आफिसर श्री एस० पी० सिंह (प्रतिपक्षी नं० 5) को प्रत्यर्थी बनाया थी।

प्रत्यर्थी नं० 1 ने अलग लिखित कथन दाखिल किया। प्रत्यर्थी नं० 2, 3 व 4 मिलकर एक अलग लिखित कथन दाखिल किया। प्रत्यर्थी नं० 5 ने कोई लिखित कथन दाखिल नहीं किया।

दोनों लिखित कथनों में समान बातें कही गई हैं इसलिये उनको अलग-अलग न बताकर उनका समान विवरण संक्षेप में यहां दिया जा रहा हैं। उनकी ओर से यह कहा गया है कि आम चुनाव की जो प्रक्रिया राज्यपाल ने निर्वाचन आयोग के निदेश पर अधिसूचना जारी करने की प्रारम्भ की वह वैध थी। राज्यपाल को राष्ट्रपति ने अपने सब अधिकार प्रत्यायोजित (delegate) कर दिये थे। केवल इतनी ही शर्तें उन्होंने लगायी थी कि राज्यपाल द्वारा उन शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति के अधीक्षण (Superintendence), निदेशन (direction) और नियन्त्रण (Control) के अधीन किया जायेगा। राष्ट्रपति ने राज्यपाल के आदेश के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की। इसलिए स्पष्ट हैं कि उन्होंने राज्यपाल के कार्य का अनुमोदन किया है। यह भी उनकी ओर से कहा गया कि श्री एस० पी० सिंह वैध तरीके से रिटर्निंग आफिसर नियुक्त किये गये। वे वास्तव में सरकारी आफिसर ही हैं। प्रार्थी की इस आपत्ति से भी उन्होंने इन्कार किया कि 24-6-80 को विधान सभा के नये निर्वाचित सदस्य चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने में सक्षम नहीं थे। यह कहा गया कि उनका निर्वाचन बहुत पहले ही रिटर्निंग आफिसर द्वारा घोषित किया जा चुका था और निर्वाचन आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 73 के अन्तर्गत 9-6-80 को इस संबंध अधिसूचना जारी कर दी थी और इसलिए उसी दिन से विधान सभा का गठन समझा जायेगा। शपथ लेना केवल विधान भवन के अन्दर काम करने के लिए है। शपथ लेने से पहले भी वे अन्य कार्य कर सकते थे। यह भी कहा कि निर्वाचन नामावली दिनांक 19-6-80 को वितरित की गई थी, 17-6-80 को नहीं। यह भी कहा कि प्रार्थी विधान सभा के सदस्यों के चुनाव के खिलाफ कोई आपत्ति इस निर्वाचन अरजी में नहीं कर सकता तथा प्रतिपक्षी नं० 1 के खिलाफ भी इस कारण शपथ न लेने वाली आपत्ति नहीं कर सकता क्योंकि उसका नामांकन पत्र भी स्वयं ऐसे सदस्यों ने किया था जिन्होंने शपथ नहीं ली थी। अन्त में यह भी आपत्ति की गई कि प्रति-

पक्षी नम्बर 2 लगायत 5 का पक्षकार बनाया जाना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 82 के उल्लंघन मे है ।

पक्षकारो के अभिकथनो (pleadings) पर विचार करने के पश्चात निम्न विवाद बिन्दु (issues) बनाये गये —

1. क्या प्रत्यर्थी न० 2 लगायत 5 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 82 के उपबन्धो के उल्लंघन मे पक्षकार बनाये गये हैं ? यदि ऐसा है तो उसका क्या प्रभाव है ?

2. (क) क्या प्रत्यर्थी न० 5 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 21 के प्रयोजन के लिए सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारी का अफसर था ?

(ख) यदि नही तो क्या वह विवादित निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर वैध रूप से नियुक्त किया जा सकता था ।

(ग) यदि नही तो क्या उसके द्वारा कराया गया निर्वाचन शून्य है ?

3. क क्या विधान सभा सदस्यो द्वारा बिना शपथ ग्रहण किये प्रत्यर्थी न० 1 का अभ्यर्थी के रूप मे नामांकन करना अवैध था और यदि ऐसा था तो क्या उसका नामांकन रिटर्निंग आफिसर प्रत्यर्थी न० 5 द्वारा गलत रूप से स्वीकार किया गया ?

ख. क्या प्रतिपक्षी न० 2 लगायत 4 के लिखित कथन के पैरा न० 37 के अभिकथन कि प्रार्थी का भी समान परिस्थितियो में नाम-निर्देशन किया गया था, को देखते हुए प्रार्थी प्रतिपक्षी नं० 1 के नाम-निर्देशन को चुनौती देने से विबन्धित (Estopped) है ?

4. क्या प्रार्थी को प्रत्यर्थी नं० 1 के निर्वाचन पर आपत्ति करने का अधिकार नही है जैसा कि प्रत्यर्थी न० 2 लगायत 4 के लिखित अभिकथन के पैरा 39 में कहा गया है ?

5. क. क्या निर्वाचन नामावली वैध रूप मे तैयार की गई थी ?

ख. यदि नही तो इसका प्रभाव ?

ग. क्या प्रार्थी को इस निर्वाचन अरजी मे निर्वाचन नामावली को चुनौती देने का अधिकार नही है जैसा कि प्रत्यर्थी न० 2 लगायत 4 के लिखित अभिकथन के पैरा 38 मे कहा गया है ?

6. क. क्या जिन व्यक्तियो ने निर्वाचन मे भाग लिया उनको मतदान करने का अधिकार नहीं था ?

ख. क्या मतदाता वैध रूप से निर्वाचित नही थे जैसा निर्वाचन अरजी के पैरा 18 से 27 मे कहा गया है और क्या इसलिए उनको मत देने या नामांकन करने का हक नही था ?

ग. क्या प्रार्थी को इस निर्वाचन अरजी मे विधान सभा सदस्यों के चुनाव को चुनौती देने का अधिकार नही हैं जैसा प्रत्यर्थी न० 2 लगायत 4 के लिखित अभिकथन के पैरा 28 मे कहा गया हैं ?

7. प्रार्थी किस अनुतोष को पाने का हकदार है ?

इनमें विवाद बिन्दु नम्बर 1 को प्रारम्भिक विवाद बिन्दु बनाया गया। दिनांक 25-2-1981 को अपने आदेश द्वारा मैने प्रतिपक्षी की ओर से उठाई गई आपत्ति को अशत स्वीकार किया । यह तय किया कि प्रतिपक्षी नम्बर 4 अर्थात् उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल को गलत तौर पर पक्षकार बनाया गया है लेकिन शेष व्यक्तियो का पक्षकार बनाया जाना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के उपबन्धो के विरुद्ध नही है । अत प्रतिपक्षी न० 4 का नाम प्रतिपक्षियो की सूची मे काट दिया गया ।

इन विवाद-बिन्दुओ पर मै दूसरे क्रम से विचार करूंगा ताकि उन विवाद-बिन्दुओ पर पहले विचार कर लिया जाये जो चुनाव प्रक्रिया के सबसे पहिले चरण से सम्बन्धित है और उसके बाद जैसे जैसे चुनाव प्रक्रिया होती रही हैं उस सम्बन्ध मे जो विवाद उठाये गये है उन पर विचार किया जायेगा ।

प्रथम विवाद चुनाव प्रक्रिया के प्रारम्भ से ही है ।

विवाद बिन्दु नम्बर 6 (क) व (ख) —

प्रदर्श 3 जिसकी वैधता के सबध मे आपत्ति की गई है वह निम्न प्रकार है —

उत्तर प्रदेश सरकार
निर्वाचन विभाग

सख्या ई० 7214117-ग-137-80
लखनऊ 25 अप्रैल 1980

अधिसूचना

राष्ट्रपति द्वारा सविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन, उत्तर प्रदेश विधान-सभा का तारीख 17 फरवरी 1980 को विघटन कर दिया गया है ।

और उस राज्य मे एक नई विधान सभा के गठन के प्रयोजन के लिये साधारण निर्वाचन कराना आवश्यक है ।

अत अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 15 की उपधारा (2) के अनुसरण मे, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, जैसी कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सिफारिश की गई हैं, इस राज्य के सभी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों से यह अपेक्षा करते है, कि वे उक्त अधिनियम और तदधीन बनाये गये नियमो तथा किये गये आदेशो के उपबन्धो के अनुसार सदस्य निर्वाचित करे ।

राज्यपाल के आदेश से,
रमेश चन्द्र देव शर्मा,
सचिव ।

प्रश्न यह है कि क्या राज्यपाल का इस प्रकार अधिसूचना जारी करने की शक्ति थी ? इस सम्बन्ध मे उस अधिसूचना को देखना होगा जिसके द्वारा राष्ट्रपति को राज्यपाल के अधिकार मिले या राष्ट्रपति ने राज्यपाल को अपने अधिकार प्रत्यायोजित (Delegate) किये ।

प्रदर्श 1 वह अधिसूचना है जो भारत सरकार ने दिनाक 17-2-80 को उत्तर प्रदेश राज्य विधान सभा भग करते समय जारी की थी । इसका सगत अश भी यहाँ उद्धृत किया जा रहा है ।

क. चूंकि मै नीलम सजीव रेड्डी भारत का राष्ट्रपति सन्तुष्ट हू कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि जिसमे उत्तर प्रदेश की सरकार सविधान के उपबन्धो के अनुकूल नही चलाई जा सकती इसलिए सविधान के अनुच्छेद 356 और उस सम्बन्ध मे अन्य प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए मैं निम्न उद्घोषणा जारी करता हू ।

क. उत्तर प्रदेश सरकार के सब कृत्य (Functions) तथा राज्य के राज्यपाल मे निहित या उनके द्वारा प्रयोग मे लाई जाने वाली सब शक्तियो को अपने हाथ मे (assume) लेता हू ।

ख. ————————————

ग. निम्नलिखित प्रासगिक (incidental) और आनुषंगिक (consequential) उपबन्ध बनाता हू जो इस उद्घोषणा के उद्देश्यो को प्रभावी करने के लिए आवश्यक या वाछनीय प्रतीत होते है —

(1) इस उद्घोषणा के खण्ड (क) मे जो शक्ति या कृत्य मैने ले लिये है, उनका उपयोग करने के लिए मेरे लिए यह वैध

होगा कि मैं राज्य के राज्यपाल के द्वारा, उस सीमा तक, जो मैं उचित समझूं, कार्य कर सकूं।

(ii) इस राज्य के संबंध में संविधान के निम्न उपबन्धों का कार्यान्वयन निलम्बित किया जाता है ————————
अनुच्छेद 163 तथा 164 व अनुच्छेद 166 के खण्ड (3) का उतना भाग जितना राज्य सरकार के कार्य का मन्त्रियों के बटवारें से सम्बन्धित है।———————— ;

(iii) उस राज्य की विधान सभा को भंग किया जाता है।

(iv) संविधान मे राज्यपाल के लिए जो निर्देश है उनका निर्देश अब राष्ट्रपति से समझा जाएगा ।

परन्तुक यह है कि इसकी कोई बात राष्ट्रपति को इस खण्ड के उपखण्ड (1) के अनुसार कार्य करने से नहीं रोक सकेगी।

(1) ————————

इस अधिसूचना के पश्चात् उसी दिन एक दूसरी अधिसूचना राष्ट्रपति ने राज्यपाल को अपनी शक्तियां प्रत्यायोजित (Delegate) करने के संबंध में जारी की । यह इस प्रकार है :—

"संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन दिनांक 17-2-80 को जारी की गई उद्घोषणा के खंड (ग) के उपखण्ड (1) के अनुसार मै आदेश देता हूं कि संविधान के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के सब कृत्य व राज्य के राज्यपाल में निहित या उसके द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली शक्तियां जो इस उद्घोषणा के खण्ड (क) के द्वारा राष्ट्रपति ने अपने हाथ मे ले ली हैं, वे राष्ट्रपति के अधीक्षण, निदेशन और नियन्त्रण के अधीन रहते हुए इस राज्य के राज्यपाल के द्वारा भी प्रयुक्त की जा सकेंगी ।"

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 15(2) के अन्तर्गत राज्य के राज्यपाल को चुनाव के संबंध में उद्घोषणा करने की शक्ति प्रदत्त की गई है। दिनांक 17-2-80 को जारी की गई उद्घोषणा से राष्ट्रपति ने राज्यपाल में निहित सब शक्तियां अपने हाथ मे ले ली थी । इस तरह इस धारा 15(2) की शक्ति भी राष्ट्रपति में निहित हो गई थी । राष्ट्रपति ने ऐसी सब शक्तियों को दूसरी अधिसूचना द्वारा राज्य के राज्यपाल को भी प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत कर दिया था। केवल यह शर्त लगाई थी कि राज्यपाल ऐसी शक्तियां राष्ट्रपति के अधीक्षण, निदेशन और नियन्त्रण के अधीन प्रयुक्त करेंगे ।

प्रार्थी के विद्वान् वकील का यह कहना है कि शब्द "अधीन" का यह तात्पर्य है कि राज्यपाल किसी भी ऐसी शक्ति का प्रयोग करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति लेंगे । इस मामले मे इस संबंध मे कोई साक्ष्य नहीं है, न कोई अभिकथन है कि राज्यपाल ने यह अधिसूचना जारी करने से पहले राष्ट्रपति से कोई पूर्व स्वीकृति ली थी। इसलिए प्रार्थी के विद्वान् वकील का यह कहना है कि यह अधिसूचना अवैध है ।

मै प्रार्थी के विद्वान वकील के इस तर्क से सहमत नहीं हूं । शब्द "अधीन" का यह तात्पर्य नहीं है कि राज्यपाल को उन सब शक्तियों का प्रयोग करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति लेनी होगी । इसका केवल इतना ही तात्पर्य है कि ऐसी शक्तियों के प्रयोग करते समय राज्यपाल को राष्ट्रपति, जो उचित समझें, आदेश दे सकते हैं और उनके अनुसार कार्य करना राज्यपाल के लिए आवश्यक होगा ।

प्रार्थी के विद्वान् वकील ने अपनी लिखित बहस के पृष्ठ 8 पर बहुत सी नजीरों का उल्लेख किया है । लेकिन उनमें से कोई भी इस वाक्यांश "अधीक्षण, निदेशन और नियन्त्रण के अधीन" का निर्वाचन नहीं करती हैं। इसके बरखिलाफ प्रतिपक्षीगण की ओर से विद्वान एडवोकेट जनरल ने एसोसिएटेड ट्रांसपोर्टस ब० भारत संघ (ए० आई० आर० 1978 मद्रास 173) का हवाला दिया । इसमें यह मत प्रकट किया गया है कि ऐसी अधिसूचना के पश्चात् यह कहना बिल्कुल अनुचित होगा कि राज्यपाल राष्ट्रपति का डेलीगेट या एजेन्ट है और परिणाम यह है कि राज्यपाल ऐसे कार्य करता है मानों राष्ट्रपति ही करता है ।

प्रार्थी के विद्वान वकील का यह भी कहना है कि राष्ट्रपति को इस प्रकार अपनी शक्तियो को, जो उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 356 के द्वारा अपने हाथ में ली हैं, किसी दूसरे अधिकारी को प्रतिनिहित (delegate) करने की शक्ति नहीं है । यह तर्क भी उनका सही नहीं है । अनुच्छेद 356(3)(1)(ग) मे राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वह अपनी उद्घोषणा के उद्देश्यों का कार्यान्वयन कराने के लिए प्रासंगिक (Incidential) या आनुषांगिक (Consequential) प्राविधान कर सकते है । यह एक प्रासंगिक विषय है कि राष्ट्रपति स्वयं ही उन सब शक्तियों का प्रयोग करेंगे या किसी दूसरे के द्वारा भी करा सकते हैं । राष्ट्रपति के स्वयं के लिए यह सम्भव नहीं होता है कि वह पूरे राष्ट्र के संघीय मामलों के अतिरिक्त राज्य सरकारो के कार्यों या राज्यपाल में निहित शक्तियो का भी स्वयं ही प्रयोग करे । इसलिए यदि वे अपनी शक्तियों को जिस सीमा तक उचित समझें, किसी दूसरे अधिकारी को देते हैं तो यह उद्घोषणा के उपबन्धों के अन्तर्गत ही हैं । केवल जैसा इन रि अनुच्छेद 143 भारतीय संविधान व देहली विधि अधिनियम 1912 (ए०आई०आर० 1951 सु० को० 332 में दिया है उन्हें अपनी शक्तियों से बिल्कुल ही परित्याग (abdicate) नहीं करना चाहिए । राष्ट्रपति ने ऐसा नहीं किया है उन्होंने यह शर्त लगा दी है कि राज्यपाल अपनी शक्तियों का प्रयोग करते समय राष्ट्रपति के अधीक्षण, निदेशन और नियन्त्रण के अधीन कार्य करेंगे । इस प्रकार राष्ट्रपति राज्यपाल के कार्य को देख सकते है कि वे ठीक प्रकार से कार्य कर रहे हैं या नहीं और उनके कार्यों के संबंध में निदेश भी दे सकते है और उन पर नियन्त्रण भी कर सकते है । इसलिए इस उद्घोषणा द्वारा राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 356 में दी गई शक्तियों के उल्लंघन मे काम नहीं किया है । अतः जो आदेश राष्ट्रपति ने अपनी शक्तियां राज्यपाल को प्रतिनिधित्व करने का दिया है वह वैध है और इसलिए राज्यपाल द्वारा दिनांक 25-4-1980 की अधिसूचना इस कारण अवैध नहीं मानी जा सकती ।

इसी तरह प्रार्थी के विद्वान् वकील का यह तर्क भी मानने योग्य नहीं है कि इस अधिसूचना में राज्यपाल द्वारा यह लिखा जाना चाहिए था कि उन्होंने राष्ट्रपति के आदेश से ऐसी अधिसूचना जारी की है । जब राज्यपाल स्वयं ही ऐसी अधिसूचना जारी कर सकते हैं, तब उनके लिए यह लिखना आवश्यक नहीं है कि उन्होंने राष्ट्रपति के आदेश से ऐसा कार्य किया है ।

प्रार्थी के विद्वान वकील का यह तर्क है कि निर्वाचन आयोग केवल राष्ट्रपति से अधिसूचना जारी करने के लिए अनुरोध कर सकता था, राज्यपाल से नहीं क्योंकि राष्ट्रपति में ही पूर्ण शक्तियां इस संबंध में निहित थी । लेकिन यह तर्क भी सही नहीं हैं । जैसा ऊपर बताया जा चुका है, राष्ट्रपति ने अपनी सब शक्तियां जो उन्होंने उद्घोषणा द्वारा अपने हाथ ली थी, राज्यपाल को कुछ शर्तों के अधीन दे दी थी । इसलिए निर्वाचन आयोग राज्यपाल से भी अनुरोध कर सकता था ।

इस संबंध में यह भी कहा है कि राज्यपाल के कोई हस्ताक्षर इस अधिसूचना पर नहीं हैं और श्री आर० सी० वेद शर्मा, जो विधि सचिव थे, उन्होंने राज्यपाल के आदेश से लिखकर यह अधिसूचना जारी की थी। उनका इस संबंध में यह कहना है कि अनुच्छेद 166(3) जिसके अन्तर्गत राज्यपाल अपने राज्य की सरकार का कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिए बटवारा करने के नियम बना सकता है, दिनांक 17-2-80 की अधिसूचना द्वारा निलम्बित कर दिया गया था इसलिए विधि सचिव को उसकी ओर से अधिसूचना जारी करने की शक्ति नहीं थी । यह तर्क भी सही नहीं हैं । 17-2-80 को उद्घोषणा प्रदर्शनी के द्वारा अनुच्छेद 166 खण्ड (3) को पूरा निलम्बित नहीं किया गया था । केवल उतना भाग निलम्बित किया गया था जिसके द्वारा मंत्रियों मे काम के बटवारे के संबंध में प्राविधान था क्योंकि मन्त्रि परिषद भंग हो गई थी । इसलिए

इस खंड का शेष भाग निलम्बित न होने से राज्यपाल सरकारी कार्य के बटवारे के सम्बन्ध में अपने सचिव के जरिये कार्य करा सकते थे । अत राज्यपाल द्वारा चुनाव के संबंध में की गई अधिसूचना पूर्ण रूप से वैध है और इसलिए उसके अन्तर्गत हुआ चुनाव अवैध नही माना जा सकता । इसीलिए इस निर्वाचन द्वारा जो सदस्य निर्वाचित हुए, वे वैध प्रकार से चुने गए थे । अतः विवाद बिन्दु के दोनों भाग प्रार्थी के विरुद्ध तय किये जाते हैं :—

विवाद बिन्दु 6 (ग)

विवाद-बिन्दु 6(क) व (ख) के संबंध में जो मत मैंने दिया है, उसको देखते हुए इस खण्ड को तय करने की आवश्यकता नहीं है । इतना ही कहना पर्याप्त है कि प्रतिपक्षीगण की ओर से इस संबंध मे की गई आपत्ति सही नही हैं । प्रार्थी विधान सभा के लिए निर्वाचित सदस्यो का चुनाव अवैध घोषित कराने की प्रार्थना नही कर रहा है । इसमे सन्देह नही कि किसी सदस्य के चुनाव को निर्वाचन अर्जी द्वारा ही चुनौती दी जा सकती है । लेकिन यहां प्रार्थी ने किसी विशेष सदस्य के चुनाव का नही, बल्कि पूरे चुनाव की वैधता को चुनौती दी है । क्योंकि उसका प्रभाव विवादित चुनाव पर पड़ता है, इसलिए प्रार्थी अपनी निर्वाचन अर्जी में ही उन सब बातों को उठा सकता है जो उस चुनाव को अवैध कराने के लिए उसके मत के अनुसार आवश्यक हों ।

विवाद बिन्दु 2 (क)

यह दोनों पक्षो को मान्य है कि श्री एस० पी० सिंह प्रतिपक्षी न० 5 स्थानीय प्राधिकारी के अफसर नही हैं । इस बात पर विवाद है कि वे सरकारी अफसर (Govt. Officer) है या नही ।

प्रार्थी के विद्वान वकील का यह कथन है कि राज्य के तीन भाग होते हैं : कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका । सरकार से तात्पर्य कार्यपालिका से ही होता है, न्यायपालिका या विधायिका सरकार के अंग नही कहलाते है, वे राज्य के अंग है इसलिए इन अगो में काम करने वाले अधिकारी सरकारी अफसर नही कहे जा सकते राज्य के अफसर हैं । इस संबंध में उन्होंने यह भी बताया कि जो व्यक्ति सरकार का अफसर होगा वह स्पष्टतः सरकार के अधीन होगा क्योंकि कोई भी सरकार का अफसर सरकार के ऊपर नहीं माना जा सकता । इस संबंध में उन्होंने प्रदुम्न कुमार बोस बनाम माननीय मुख्य न्यायाधीश कलकत्ता हाईकोर्ट (1955/2/सु० को० रि० 1331/ बलदेव राज गुलाटी बनाम पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय /1976/4/सु० को० के० 201/, भारत संघ बनाम एस० एच० शेथ / 1977/4/ सु० को० के० 193. हरगोविन्द पन्त बनाम डा० रघुकुल तिलक /1979/3/सु० को० के० 458) का हवाला देते हुए बताया कि न्यायपालिका के कर्मचारी व न्यायाधीश सरकार के कर्मचारी नही माने गये हैं । प्रद्युम्न कुमार बोस बनाम माननीय मुख्य न्यायाधीश कलकत्ता हाई कोर्ट (उपरोक्त) वाले मामले में उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार का प्रश्न था । बलदेव राज गुलाटी बनाम पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय (उपरोक्त) वाले मामले में एक न्यायिक अधिकारी का प्रश्न था । भारत संघ बनाम एच० एस० शेथ (उपरोक्त) मे उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश की संवैधानिक स्थिति पर विचार करते हुए यह कहा कि ये सरकारी कर्मचारी नहीं है । उनमे और सरकार मे कोई रिश्ता मालिका या नौकर का नही है । उसमें उन्होंने पृष्ठ 236 पैरा 49 मे निम्नलिखित बात कही जिससे स्पष्ट होता है कि ये तीनो अंग राज्य के है, न कि सरकार के .—

"वह वास्तव में राज्य का उतना ही भाग है जितना कि कार्यपालिका । वास्तव में राज्य के तीन अंग होते है, एक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करता है, दूसरा विधायिका शक्ति का प्रयोग करता है, और तीसरा न्यायपालिका शक्ति का प्रयोग करता है । परन्तु ये तीनो अंग अपने अपने क्षेत्र मे स्वतन्त्र और सर्वोच्च हैं और यह कहना संभव नहीं है कि कौन दूसरे से बड़ा है । उच्च न्यायालय जो मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों द्वारा गठित है राज्य की न्यायपालिका शक्ति का प्रयोग करता है, अपनी स्थिति और परिस्थिति में राज्यपाल व उसकी सहायता के लिए बने मन्त्रि मण्डल के जो कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करता है तथा विधान सभा विधान परिषद के जो राज्य विधायिका शक्ति का प्रयोग करती है, के समान है —

हरगोविन्द पन्त बनाम डा० रघुकुल तिलक (उपरोक्त) में उन्होंने उपरोक्त नजीरों का अनुमोदन करते हुए फिर दोहराया कि उच्च न्यायालयों या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भारत सरकार के अधीन नही है यद्यपि वे राज्य की शक्ति का प्रयोग करते हैं । इसी दृष्टिकोण से विधायिका शक्ति का प्रयोग करने वाली सभाओं के अधिकारी भी सरकार के अधीन नही कहे जा सके और इस तरह से सरकारी अफसर नहीं होंगे ।

विद्वान एडवोकेट जनरल जो प्रतिपक्षीगण की ओर से उपस्थित हुए हैं, ने इस बात पर बल दिया है कि वास्तव मे ये तीनों प्रकार की शक्तियां सरकारी कृत्यों का (Governmental function) ही प्रयोग करती है । उन्होंने प्रार्थी के इस कथन को सही नही माना कि सरकार (Government) से मतलब केवल कार्यपालिका से ही होगा । इस संबंध में उन्होंने इन रि सुन्दर लाल (ए० आई० आर० 1019 इला -911, स्पेशल बैंच), शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ (ए० आई० आर० 1951 सु० को० 456) में दिये गये कुछ उद्धरणों पर भरोसा किया । इन रि सुन्दरलाल (उपरोक्त) में धारा 4 प्रेस ऐक्ट में प्रयुक्त वाक्यांश सरकार जैसा ब्रिटिश इण्डिया मे कानून द्वारा स्थापित है का स्पष्टीकरण किया था । उन्होंने बताया कि ब्रिटिश इण्डिया में स्थापित सरकार से तात्पर्य किसी स्थापित (Established) प्राधिकारी से है जो देश और उसके सार्वजनिक कार्यों पर शासन करता है और उसमें वे सब प्रतिनिधि भी शामिल हैं जिसको सरकार का कार्य सौंपा गया है । इस तरह विद्वान एडवोकेट जनरल का यह कथन है कि चूंकि विधान मण्डल भी एक स्थापित प्राधिकारी है, इसलिए यह सरकार के अन्तर्गत होता है । शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ (उपरोक्त) वाले मामले के पैरा 13 में निम्नलिखित उद्धरण पर उन्होंने जोर दिया है :—

डायसी की संवैधानिक विधि की परिभाषा में वे सब नियम जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राज्य की प्रभुसत्ता के प्रयोग या उसके बटवारे पर प्रभाव डालते है, शामिल हैं । इस तरह वे राज्य के तीन बड़े अंग अर्थात कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के गठन उनमें शासकीय शक्ति का बटवारा और उनमें आपसी संबंधों के बटवारे से मुख्यतया संबंधित है ।

इस उद्धरण से उनका यह कहना है कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में आपस मे शासकीय शक्ति (Government Power) का ही बटवारा है इसलिए ये प्रत्येक अंग सरकार (Govt.) का भाग होने के कारण इसमें काम करने वाले कर्मचारी सरकारी प्रकार हो कहलायेंगे ।

इन उद्धरणों से विवादित विषय का निराकरण नहीं होता । रि सुन्दरलाल (उपरोक्त) मे प्रश्न दूसरा था । शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ (उपरोक्त) वाले मामले मे राज्य (State) के कृत्य को शासकीय (Govermental) कृत्य कहा है । राज्य व सरकार के विभेद का वहां भी प्रश्न नही था ।

यह बात निर्विवाद है कि राज्य व सरकार दो भिन्न विचार (कान-सेप्ट्स) (Concepts) है । राजस्थान राज्य बनाम भारत संघ [(1977) सु० को० के० 592] में इस विषय पर बड़े विस्तार से विचार किया गया है । यह बात दूसरी है कि अनुच्छेद 131 के प्रयोजन के लिए शब्द राज्य व भारत सरकार के बीच विवाद में राज्य शब्द में तत्कालीन सरकार आती है या नही, इस पर मतभेद था ।

इसके अतिरिक्त सरकारी कृत्य (Governmental Function) व सरकार (Govt.) को एक से अर्थो में नहीं लिया जा सकता । सरकार का

प्रयोग सीमित अर्थ में किया जाने लगा है जबकि सरकारी कृत्य में व्यापक अर्थ निकलता है । बहरहाल अधिक से अधिक यह कहा जा सकता है कि शब्द सरकार दो अर्थों में प्रयुक्त किया जा सकता है । जिनमें से एक सीमित अर्थ अर्थात् केवल कार्यपालिका में संबंधित , जैसा प्रार्थी की ओर से कहा गया है, और एक व्यापक अर्थ जिसमें राज्य के तीनों अंग शामिल है, जैसा प्रतिपक्षीगण की ओर से विद्वान एडवोकेट जनरल ने कहा है । इसलिये हमें यह देखना होगा कि हमारे विधि शास्त्र में यह किस अर्थ में प्रयोग हुआ है भारत का संविधान ही हमारे विधि जगत का मूलाधार है । इसलिए संविधान के उपबन्धों का इस सम्बन्ध में अवलोकन करना होगा अर्थात हमें यह देखना है कि हमारे संविधान में सरकार शब्द से क्या तात्पर्य लिया गया है । संविधान के अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा की गई है । इसमें राज्य के अन्तर्गत भारत की सरकार और संसद तथा राज्यों में से प्रत्येक की सरकार और विधान मण्डल, तथा भारत राज्य-क्षेत्र के भीतर अथवा भारत सरकार के नियन्त्रण के अधीन सब स्थानीय और अन्य प्राधिकारी भी है । यहां सरकार केवल कार्यपालिका के लिए प्रयोग किया गया है । संसद या अन्य प्राधिकारियों के लिए नहीं प्रयोग किया गया है अन्यथा उनको अलग से क्यों लिखा जाता । रामनन्दन बनाम राज्य [ए० आई० आर० 1959 इला० 101 (फुल बैन्च)] में इस संबंध में बताया गया है कि शब्द सरकार को संविधान में परिभाषा नहीं लिखी है और साधारण खंड अधिनियम की धारा 3 (23) में केवल इतना लिखा है कि "सरकार" शब्द के अन्तर्गत दोनों केन्द्रीय और प्रदेशीय सरकारें शामिल है । इस तरह यहां भी सरकार की परिभाषा में कहीं भी विधान मण्डल या न्यायपालिका को शामिल नहीं किया है और सरकार से तात्पर्य केवल कार्यपालिका से ही लिया है । संविधान के जहां न्यायपालिका या विधायिका का वर्णन है वहां कहीं भी उनका सरकार के नाम से नहीं बताया गया ।

संविधान के अनुच्छेद 89 से 98 तक संसद के अधिकारी और अनुच्छेद 178 से 187 तक विधान मंडल के अधिकारियों का वर्णन है । अनुच्छेद 98 (अठानवे) में संसद के सचिवालय तथा अनुच्छेद 187 में विधान मण्डल के सचिवालय का प्राविधान है और यह बताया गया है कि उनका प्रत्येक का अपना सांचविक कर्मचारी वृन्द (सैक्रेट्रियल स्टाफ) होगा ।

संविधान के अनुच्छेद 310 व 311 से भी यह भेद स्पष्ट है । यहां दो प्रकार की सेवाओं का वर्णन है । एक वे जो संघ या राज्य के अधीन हैं व दूसरों को केवल संघ या राज्य की सेवा कहा है । इसलिए जो कर्मचारी राज्य के अधीन अर्थात राज्य सरकार के नहीं है, परन्तु राज्य के अन्य अंगों जैसे न्यायपालिका या विधायिका के कर्मचारी हैं, वे इस दूसरे वर्ग के अन्तर्गत आते है ।

उत्तर प्रदेश में विधान मंडल के सचिवालय के कर्मचारियों के संबंध में सन् 1974 में नियम बनाये गये हैं । उसके नियम 48 में यह प्राविधान है कि सरकारी कर्मचारियों के आचरण संबंधी जो नियम हैं वे विधान मंडल के सचिवालय के कर्मचारियों पर भी लागू होंगे । यह भी स्पष्ट करता है कि सचिवालय के कर्मचारी सरकारी कर्मचारी नहीं हैं अन्यथा सरकारी कर्मचारियों वाले नियम उनके लिए भी लागू करने की क्या आवश्यकता थी ।

इसके अतिरिक्त जिस प्रसंग में यह शब्द धारा 21 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में प्रयोग हुआ है, वह भी देखना आवश्यक है । इस अधिनियम की धारा 21 इस प्रकार है :—

> निर्वाचन आयोग — राज्य की सरकार के परामर्श से, रिटर्निंग अफसर पदाभिहीत (डिस्क्यूट) या नाम निर्दिष्ट (नामनेट) करेगे जो सरकार का या स्थानीय प्राधिकारी का अफसर ही होगा ।

इससे स्पष्ट है कि बाद में जो शब्द सरकार प्रयुक्त हुआ है वह राज्य की सरकार का ही संक्षिप्त रूप है । "राज्य की सरकार" से मतलब कार्यपालिका सरकार से ही है क्योंकि उसी के परामर्श से निर्वाचन आयोग अधिकारी की नियुक्ति करता है विधायिका या न्यायपालिका के उच्च अधिकारियों से नहीं । यदि "सरकार" से कोई दूसरा अर्थ अभिप्रेत था तो यहां यह स्पष्ट कर देना चाहिए था । एक ही धारा में जब दो बार एक शब्द प्रयुक्त होता है तो वह एक ही अर्थ में होगा इसलिए जिस प्रकार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 21 में शब्द "सरकार" प्रयुक्त हुआ है उससे भी यह स्पष्ट है कि सरकारी अफसर का मतलब राज्य की सरकार के अफसर से है अर्थात कार्यपालिका सरकार के अधिकारी से है, अन्यों से नहीं ।

राज्य सरकार ने जिस प्रकार विभिन्न अधिकारियों को रिटर्निंग अफसर बनाने की अधिसूचना जारी की, उससे भी यही स्पष्ट होता है कि विधान सभा के अधिकारी सरकारी अफसर नहीं है । प्रदर्श -2 वह अधिसूचना है जो राज्य सरकार ने दिनांक 5-4-1980 को विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के लिए रिटर्निंग अफसर नियुक्त करने के लिए जारी की है । उसमें उनकी भाषा इस प्रकार है :—

> "·····निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश सरकार के परामर्श से नीचे की सारिणी के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट सरकारी अफसरों को ऐसे सरकारी अफसर के सामने उ० प्र० राज्य के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों, जैसा कि उक्त सारिणी के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट किये गये है, के लिए रिटर्निंग आफिसर के रूप में एतद्द्वारा पदाभिहीत करता है ।"

इसके बाद इस सारिणी में पदाधिकारियों व अन्य अधिकारियों के नाम है । लेकिन श्री एस० पी० सिंह को रिटर्निंग आफिसर निम्न प्रकार की अधिसूचना से नियुक्त किया है —

> "लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश सरकार के परामर्श से, ·····राज्यसभा के लिए होने वाले निर्वाचन के लिए सचिव उत्तर प्रदेश विधान-सभा, लखनऊ को रिटर्निंग आफिसर के रूप में पदाभिहीत करता है ।"

यहां उन्होंने सचिव, उत्तर प्रदेश विधान-सभा को बतौर सरकारी अफसर नहीं बनाया है जैसा अन्य अधिकारियों के लिए पहले बताई हुई अधिसूचना में बताया है। इससे भी स्पष्ट होता है कि राज्य सरकार स्वयं सचिव राज्य विधान सभा को धारा 21 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रयोजन के लिए सरकारी आफिसर नहीं मानती थी ।

अतः इस विवाद-बिन्दु पर मेरा यह निष्कर्ष है कि प्रतिपक्षी सं० 5 श्री एस० पी० सिंह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 21 के संदर्भ में सरकारी अधिकारी नहीं है। (वे विधान सभा के अधिकारी थे और इस तरह राज्य के अधिकारी थे) ।

विवाद-बिन्दु 2 (ख) :—

उपरोक्त निष्कर्ष का यह परिणाम निकलता है कि श्री एस० पी० सिंह को विवादित निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर नियुक्त नहीं किया जा सकता था ।

प्रार्थी के विद्वान् वकील ने इस संबंध में एक और बात कही थी । उनका यह कहना था कि निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश सरकार के परामर्श से ही किसी सरकारी आफिसर को रिटर्निंग आफिसर नियुक्त कर सकता था लेकिन उस समय कोई उत्तर प्रदेश सरकार थी ही नहीं, जब की एस० पी० सिंह को रिटर्निंग आफिसर नियुक्त किया गया । उनका यह कहना है कि उत्तर प्रदेश विधान-सभा भंग हो गई थी और इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार भी नहीं रही और उत्तर प्रदेश के शासन का सारा कार्यभार राष्ट्रपति या संसद के हाथ में आ गया था । मैं प्रार्थी के विद्वान् वकील के इस तर्क से सहमत नहीं हूं । उत्तर प्रदेश सरकार के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह केवल मन्त्रिमंडल के द्वारा ही, जैसा प्रार्थी के विद्वान् वकील कहते है, शासित हो । प्रदेशीय मन्त्रिमंडल तब तक कार्य

करता है जब तक कि विधान सभा या मन्त्रिमंडल भंग न हो। आपात घोषणा के पश्चात् उत्तर प्रदेश सरकार का कार्य राष्ट्रपति व संसद को सुपुर्द हो जाता है। लेकिन तब भी वे उत्तर प्रदेश सरकार का ही कार्य करेंगे। इसलिए इस घोषणा से केवल उस तरीके में परिवर्तन होता है जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार का शासन होता है और कोई बात नहीं है। इसलिए इस अधिसूचना में कोई गलती नहीं है।

परन्तु जैसा ऊपर कहा गया है चूंकि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 21 के प्रयोजन के लिए श्री एस० पी० सिंह सरकारी आफिसर नहीं हैं, इसलिए उनको रिटर्निंग आफिसर नियुक्त नहीं किया जा सकता था।

विवाद-बिन्दु 3 (क) :—

यह पक्षकारों को स्वीकार है कि इस मामले में प्रतिपक्षी नम्बर 1 का नाम निर्देशन पत्र 24-6-1980 तक दाखिल किया गया था तथा विधान सभा के जिन सदस्यों ने प्रतिपक्षी नं० 1 का नाम निर्देशित किया था उन्होंने उस समय तक विधान मंडल का सदस्य चुने जाने की शपथ ग्रहण नहीं की थी। यह शपथ लेने का कार्यक्रम दिनांक 27-6-1980 को शुरू हुआ चुनाव प्रबन्ध तब हुआ जबकि सदस्यों द्वारा शपथ ली जा चुकी थी। प्रार्थी के विद्वान् वकील का यह कहना है कि जिन सदस्यों ने प्रतिपक्षी न० 1 का नाम-निर्देशित किया है, वे नाम-निर्देशित करने के लिए सक्षम नहीं थे क्योंकि तब तक वास्तव में विधान-सभा के वे सदस्य नहीं हुए थे। वे सदस्य तभी हुए जब उन्होंने शपथ ग्रहण की जो कि दिनांक 27-6-1980 या उसके बाद हुई।

उधर प्रतिपक्षी नं० 1 के विद्वान् वकील का यह कथन है कि विधान सभा के सदस्यों के चुनाव की घोषणा दिनांक 9-6-1980 को कर दी गई थी जैसा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 66 में प्राविधान है। इसी अधिनियम की धारा 67(क) में यह प्राविधान है कि जिस दिन रिटर्निंग आफिसर ने विधान सभा के लिए चुने गये सदस्यों के चुनाव की घोषणा की, उसी तारीख की बाबत इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए यह समझा जायेगा कि उस अभ्यर्थी (Candidate) (कन्डीडेट) के निर्वाचन की तारीख है। इसके पश्चात लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 73 के अंतर्गत भी अधिसूचना जारी हो गई। इसमें यह प्राविधान है कि धारा 53 या धारा 66 के उपबन्धों के अधीन रिटर्निंग आफिसर द्वारा परिणाम की घोषणा किये जाने के पश्चात यथाशीघ्र उन सदस्यों के नाम जो उस निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचित हुए हों, शासकीय राजपत्र के अधिसूचना द्वारा अधिसूचित किये जायेंगे और ऐसी अधिसूचना निकलने पर लोक-सभा या विधान-सभा की बाबत यह समझा जाएगा कि वह सम्यक रूप से गठित हो गई है। इसलिए उत्तर प्रदेश विधान सभा का गठन 24-6-1980 से पहले हो गया और उन सदस्यों के, जिन्होंने प्रतिपक्षी नं० 1 का नाम-निर्देशित किया था, निर्वाचन की तारीख भी 9-6-1980 मानी गई। अतः यह कहना कि ये सदस्य विधान-सभा के सदस्य नहीं थे और उनको नाम निर्देशन का अधिकार नहीं था, सही नहीं है। यह भी कहा कि सदस्य द्वारा शपथ लेने के बारे में जो प्राविधान अनुच्छेद 188 में है वह केवल विधान सभा के अन्दर कार्य करने के लिए है, अन्य मामलों के लिए नहीं। लेकिन प्रार्थी के विद्वान वकील का यह कथन है कि शपथ की आवश्यकता केवल विधान-सभा के अन्दर कार्य करने तक ही सीमित नहीं है बल्कि वास्तव में बतौर विधान-सभा के सदस्य कोई कार्य कर ही नहीं सकता जब तक कि वह शपथ न ले।

इस संबंध में उन्होंने उस प्रमाण-पत्र की ओर ध्यान दिलाया जो प्रत्येक व्यक्ति को विधान सभा का सदस्य चुने जाने पर रिटर्निंग आफिसर की ओर से दिया जाता है। यह फार्म नम्बर 24 है। इसकी संबंधित भाषा इस प्रकार है:—

"...... ... मैं यह प्रमाणित करता हूं कि मैंने ...... 19..... के दिन यह घोषित कर दिया है कि श्री .... राज्य-सभा के सदस्य सम्यक रूप से निर्वाचित हो गये है। अंग्रेजी में इस संबंध में शब्द "ड्यूली एलेक्टेड टू बी" लिखा है।

प्रार्थी के विद्वान वकील ने शब्द "टू बी" पर अधिक जोर दिया है। उनका यह कहना है कि यह शब्द यह दिखाता है कि वे उस समय तक सदस्य नहीं बने हैं केवल सदस्य नामोदिष्ट (Member Designate) हैं।

इसी तरह से जो शपथ सदस्य को विधान-सभा में अपना स्थान ग्रहण करने से पहले दिलाई जाती है उसका फार्म 7-ख है जो संविधान की तृतीय अनुसूची में दिया हुआ है और जो इस प्रकार है —

"मैं............जो विधान-सभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं शपथ लेता हूं कि मैंने विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा और जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा।"

इस उपरोक्त वाक्यों से जिसके नीचे लाइन खिंची हुई है का यह तात्पर्य कहा जाता है कि शपथ लेने के समय तक वह सदस्य उस पद के कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर सकता। वह निर्वहन तभी कर सकता है जब वह शपथ ले लेता है। इससे किसी विशेष कार्य के लिए शपथ लेना नहीं बताया गया है बल्कि उस पद के संबंध में कहा गया है जिसके लिए वह चुना गया है।

यहां यह बात भी विचारणीय है कि विधान सभा के लिए जो सदस्य निर्वाचित होता है वह एक पद के लिए चुना जाता है, विधान सभा के अन्दर किसी विशेष स्थान के लिए नहीं।

"पद" से तात्पर्य जैसा श्रीमती कान्ता बनाम मानक चन्द सुराना (1989) 3 सु० को० के० 268 (के पैरा 6 में दिया है, उस पोजीशन या प्लेस से है जिसमें सार्वजनिक प्रकृति के कर्तव्य जुड़े होते है।

संविधान के अन्तर्गत जितने भी व्यक्ति नियुक्ति किये जाते है वे चाहे उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश हों या राष्ट्रपति या उप-राष्ट्रपति हों उनकी नियुक्ति का आदेश तब तक क्रियान्वित नहीं माना जा सकता जब तक कि वे अपने पद की शपथ न लें। उच्च न्यायालय न्यायाधीश के संबंध में विचार करते हुए शर्मा बनाम राज्य [(ए० आई० आर०) 1865 इला० 97] के पैरा 3 में यह लिखा है कि शपथ लेने से पहले जो व्यक्ति उच्च न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है वह केवल न्यायाधीश नामोदिष्ट (Judge Designate) ही होता है।

इस संबंध में संविधान निर्मात्री परिषद (Constituent Assembly) की डिबेट्स (Debates) में माननीय डाक्टर अम्बेडकर ने जो विचार इस संबंध में रखे थे उनको उद्धरित करना अनुपयुक्त नहीं होगा उन्होंने प्रोफेसर शाह के संशोधनों का जवाब देते हुए इस प्रकार कहा.—

"यदि प्रोफेसर शाह अनुच्छेद 81 को देखें और सदस्यों की अनर्हता के शीर्षक को देखें तो पहली चीज को वे पायेंगे वह यह है कि केवल इसी कारण कि एक अभ्यर्थी संसद का सदस्य चुना गया है उसको संसद का सदस्य होने का अधिकारी नहीं बनाता है। कुछ ऐसी रस्में है जो की जाती है। इससे पेशतर कि कोई सम्यक चुना हुआ व्यक्ति संसद का सदस्य कहा जा सके उनमें से एक बात जिसको उसे करना होता है वह शपथ लेना होती है। ...... यही एक घटनाओं का क्रम है, निर्वाचन शपथ के लेना, सदस्य बनना और तब अध्यक्ष के चुनाव में भाग लेने का अधिकारी होना।" इस तरह यह स्पष्ट है कि जहा तक हमारे संविधान का प्रश्न है कोई भी सदस्य विधान सभा का सदस्य चुने जाने से ही विधान-सभा का सदस्य होने का अधिकारी नहीं होता है जब तक कि वह शपथ-ग्रहण न कर लें।

यही बात लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 73 के अन्तर्गत विधान सभा के गठन के लिए जारी की गई अधिसूचना के संबंध में कही

जा सकती हैं। इस धारा के परन्तुक में ही यह प्राविधान है कि सभा का गठन होने से पहले विधान सभा की अवधि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह बात यह दिखाती है कि गठन होना दूसरी बात है और उसको करने के लिए अधिकारी होना दूसरी बात है। संविधान के अनुच्छेद 172(1) में यह प्राविधान है कि विधान सभा का कार्यकाल उस दिन से शुरु होता है जिस दिन उसकी प्रथम बैठक निश्चित की जाती है। इसलिए दिनांक 9-6-1980 को जब उत्तर प्रदेश विधान सभा के गठन के संबंध में धारा 73 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना जारी हुई, उस दिन से उसकी अवधि शुरु नहीं होगी बल्कि जिस दिन उसकी प्रथम बैठक बुलाई गई, जो दिनांक 27-6-80 है, उस दिन से उसका कार्य करना कहा जा सकता है। चुनाव किसी भी विधान सभा के भंग होने से पहले भी कराया जा सकता है, केवल नई विधान सभा का कार्य पहली विधान सभा की अवधि समाप्त होने पर शुरु होगा। भोलानाथ बनाम भारत संघ (ए० आई० आर० 1963 इला० 63) में लोक सभा के विषय में यही बात कही गई थी। उसमें यह बताया है कि संविधान के अनुच्छेद 83(2) के परन्तुक का यह प्रभाव है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 73 के अंतर्गत जारी की गई अधिसूचना से ही लोक सभा कार्य करना प्रारंभ नहीं करती है बल्कि जब उसकी प्रथम बैठक बुलाई जाती है, तबसे उसकी अवधि शुरु होती है। इसलिए तभी से वास्तव में चुने हुए सदस्य लोक सभा के सदस्य माने जा सकते हैं। यही बात हुबहू विधान सभा के लिए भी लागू होती है क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 172 इसी प्रकार है जैसा अनुच्छेद 83 यह तो सोचा ही नहीं जा सकता कि विधान सभा की अवधि तो उसकी प्रथम बैठक के दिनांक से प्रारंभ हो और उसके सदस्य की अवधि चुने जाने की घोषणा के दिन से यह ठीक है कि धारा 67-क के लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार किसी अभ्यर्थी के चुने जाने की तिथि वह है जिस दिन रिटर्निंग आफिसर ने चुनाव परिणाम घोषित किया। लेकिन यह तिथि उस अधिनियम के प्रयोजन के लिए ही है, उसके कार्यकाल के लिए नहीं है। वह तो विधान सभा के कार्यकाल के साथ ही है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में निर्वाचन अर्जी को दाखिल करने की अवधि चुनाव के दिन से 45 दिन है इसके लिए यह धारा सगत है।

सरकार बनाम उड़ीसा विधान-सभा (ए० आई० आर० 1952 उड़ीसा 234) में इसी प्रश्न को आगे बढ़ाया गया है। वहां यह मत प्रकट किया गया है कि उस प्रथम दिन, जिस दिन सदस्यों को बैठक के लिए आमंत्रित किया गया है, को विधान सभा के सत्र का प्रारम्भ नहीं कहा जा सकता। उसके सत्र का प्रारम्भ उस दिन होगा जिस दिन सब सदस्य शपथ-ग्रहण कर लें। प्रतिपक्षीगण की ओर से विद्वान एडवोकेट जनरल ने के० के० अबूब-भारत संघ (ए०आई० आर० 1965 केरल 229) का हवाला दिया। इसमें यह तय किया गया था कि जब एक बार विधान सभा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 73 के अधीन जारी की गई अधिसूचना के अनुसार गठित हो गई, तब उसका विघटन विधान सभा की बैठक बुलाए बिना भी हो सकता है। इससे वे यह कहते हैं कि बिना विधान सभा की बैठक बुलाए भी विधान सभा वास्तविक संस्था है और इसलिए उसके सदस्य भी। यह तर्क ठीक नहीं है। जब विधान सभा गठित हो जाती है, तब वह भंग भी की जा सकती है। परन्तु इसका यह तात्पर्य नहीं है कि वह कार्य करने में सक्षम है। कार्य करने में सक्षम तो वह उसी समय होगी, जब उसकी प्रथम बैठक होगी व उसके सदस्यों ने शपथ ले ली है।

यहां संविधान के अनुच्छेद 193 का जिक्र करना भी उचित होगा। इसमें यह प्रावधान है कि यदि कोई सदस्य संविधान के अनुच्छेद 188 की अपेक्षाओं की पूर्ति किए बिना मतदान देता है, या बैठता है, तो वह प्रत्येक दिन जिस दिन वह बैठता है या मत देता है, 500 रुपए की शास्ति (penalty) का भागी होगा। संविधान के अनुच्छेद 188 में सदस्य द्वारा शपथ लेने का प्रावधान है। यहां विधान सभा के अन्दर बैठने के लिए ही अपेक्षा नहीं है। यदि बिना शपथ लिए विधान सभा की हैसियत से वह मतदान भी करता है तो वह अनुच्छेद 193 के अन्तर्गत दण्ड का भागी होगा। इस अनुच्छेद में यह प्रावधान नहीं है कि केवल विधान सभा भवन के अन्दर ही मतदान हो। राज्य सभा के लिए चुनाव में भी वह मत बहैसियत सदस्य विधान सभा ही देता है। इस तरह यह स्पष्ट है कि जब तक कोई सदस्य संविधान में नियत शपथ नहीं लेता है, तब तक वह वास्तव में विधान सभा का सदस्य नहीं कहा जा सकता और इसलिए ऐसे सदस्य द्वारा नाम निर्देशन पत्र अस्वीकार हो जाना चाहिए था। इसलिए रिटर्निंग आफिसर द्वारा उसको स्वीकार करना अवैध है।

विवाद बिन्दु 5(क)

प्रार्थी की ओर से निर्वाचन नामावली (electoral roll) की वैधता को चुनौती मुख्यतः चार आधारों पर दी गई है, (1) विधान सभा के सदस्यों का चुनाव अवैध था, (2) बिना शपथ-ग्रहण किए सदस्यों का नाम इस नामावली में शामिल नहीं किया जा सकता था, (3) श्री एस० पी० सिंह द्वारा तैयार की निर्वाचन नामावली अवैध है, (4) यह निर्वाचन नामावली समय से पहले तैयार कर दी गई क्योंकि इसमें यह अवसर नहीं दिया गया है कि जो सदस्य दो जगह से चुने गए हैं वे उनमें से अपना विकल्प दे दें।

जहां तक आधार नम्बर 1 का सम्बन्ध है, यह विवाद बिन्दु नम्बर 6 में सही नहीं पाया गया। सदस्यों का चुनाव वैध था।

तीसरे आधार की यह बात ठीक है कि श्री एस० पी० सिंह की बतौर रिटर्निंग आफिसर नियुक्ति अवैध है लेकिन इससे इस निर्वाचन नामावली पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि निर्वाचन नामावली में जो नाम लिखे जाते है उनमें श्री एस० पी० सिंह के विवेक का कोई स्थान नहीं है। उसमें उन्हीं लोगों के नाम लिखे जाते हैं जिनको नाम गजट में बतौर चुने हुए सदस्य घोषित कर दिए गए हों।

आधार नम्बर 4 भी कोई महत्व नहीं रखता है क्योंकि ऐसा कोई उदाहरण प्रार्थी की ओर से नहीं दिया गया है कि उसमें से कोई सदस्य ऐसा था जो दो स्थानों से चुना गया था।

आधार नम्बर 2 अंशतः ठीक है और अंशतः गलत है। यह ठीक है जैसा विवाद बिन्दु नम्बर 3(क) में तय किया गया है कि बिना शपथ ग्रहण किए चुने हुए सदस्य चुनाव में भाग नहीं ले सकते। इसलिए जिस दिन नाम निर्देशन की कार्यवाही हुई उस समय यह नामावली अवैध थी क्योंकि इसमें सदस्यों के नाम बिना उनके द्वारा शपथ लिए लिख दिए गए थे। लेकिन जिस दिन मतदान हुआ उस दिन चूंकि उन सदस्यों ने शपथ ले ली थी इसलिए नामावली उस समय वैध हो जाती है। यह विवाद बिन्दु इस प्रकार ही तय किया जाता है।

विवाद बिन्दु 5(ख)

इस प्रश्न का उत्तर विवाद बिन्दु नम्बर 3-(क) में दे दिया गया है।

विवाद बिन्दु नम्बर 5(ग)

प्रतिपक्षी नम्बर 2 लगायत 4 की ओर से यह भी कहा गया है कि इस निर्वाचन नामावली के आधार पर भाग लेने के कारण प्रार्थी का यह अधिकार नहीं है कि वह इसकी वैधता को चुनौती दे सके। लेकिन उनका यह कथन सही नहीं है। बार कौन्सिल आफ देहली बनाम सुरजीत सिंह (1980) (4) सु० को० के० (211) में यह तय किया गया है कि केवल निर्वाचन नामावली के अनुसार भाग लेने के कारण किसी प्रार्थी को उसकी वैधता को चुनौती देने से मना नहीं किया जा सकता। अतः प्रतिपक्षीगण की यह आपत्ति सही नहीं।

प्रतिपक्षीगण के विद्वान वकील ने यह भी आपत्ति उठाई कि निर्वाचन नामावली में किसी का नाम सही लिखा है या नहीं, के विषय में आपत्ति निर्वाचन अर्जी में नहीं उठाई जा सकती। निर्वाचन के प्रयोजन के लिए

निर्वाचन नामावली अन्तिम है। जिन व्यक्तियों ने प्रतिपक्षी नम्बर 1 के लिए नाम निर्देशन पत्र भरा है उनके नाम निर्वाचन नामावली में है। इसलिए उन्हें नाम निर्देशन पत्र प्रस्तावित करने का पूरा हक है। इसके लिए उन्होंने आर० चन्द्रन ब० एम० बी० मारम्मम (ए० आई० आर० 1973 सु० के० 2362) व नृपेन्द्र बहादुर सिंह ब० जे० आर० वर्मा [(1977) 4 सु० के० के० 153] पर भरोसा किया है। इनमें यह तय किया है कि जब एक बार किसी व्यक्ति का नाम निर्वाचन नामावली में है, तब उसकी निर्वाचन में भाग लेने की अर्हता (qualifications) को निर्वाचन अरजी में चुनौती नहीं दी जा सकती। प्रतिपक्षीगण की यह आपत्ति भी सही नहीं है। ये सब मामले में उन निर्वाचन नामावलियों में विषय में थे जिनको लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के अन्तर्गत तैयार किया गया था। वहां निर्वाचन नामावली में किसी का नाम लिखवाने या किसी का नाम हटाने के लिए प्रक्रिया बताई है। उसमें नियत अवधि तक यदि कोई आपत्ति नहीं होती है, तो निर्वाचन नामावली अन्तिम हो जाती है। परन्तु राज्य-सभा के चुनाव के लिए निर्वाचन नामावली 1950 के लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अन्तर्गत तैयार नहीं होती। इसके लिए प्रावधान निर्वाचनों का संचालन नियमावली (Conduct of Elections Rules) 1961 में है। इसके नियम 2(50) में निर्वाचन नामावली की परिभाषा दी है। इसके अनुसार विधान सभा सदस्यों द्वारा निर्वाचन के सम्बन्ध में उस निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर द्वारा धारा 152 के अधीन रखी गई सूची अभिप्रेत है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 152 में यह प्रावधान है कि रिटर्निंग आफिसर ऐसी सूची अपने कार्यालय में विहित रीति और प्रारूप में रखेगा। यहां कोई प्रावधान ऐसी सूची के विरुद्ध निर्वाचन से पहले आपत्ति करने को नहीं है। इस मामले में रिटर्निंग आफिसर ने निर्वाचन कार्यक्रम की नोटिस दिनांक 17-6-1980 को दिया उसने नाम निर्देशन की तिथि 24-6-1980 तक बताई। कोई प्रावधान निर्वाचन नामावली के लिए आपत्ति करने का ही नहीं बताया। निर्वाचन नामावली ही 19-6-1980 को सकुर्लेट करना बताया। इसलिए ऐसे मामलों में जहां निर्वाचन नामावली को निर्वाचन से पहले अन्तिम करने की प्रक्रिया नहीं बताई वहां निर्वाचन नामावली की वैधता या उसमें लिखे किसी व्यक्ति के नाम के सबंध में आपत्ति निर्वाचन अरजी में ही उठाई जा सकती है।

विवाद-बिन्दु 2(ग) —

प्रार्थी के विद्वान वकील का यह कहना है कि जब प्रतिपक्षी नं० 5 की नियुक्ति बतौर रिटर्निंग आफिसर अवैध है, तो उनके द्वारा संचालित चुनाव भी शून्य हैं।

प्रतिपक्षीगण की ओर से विद्वान एडवोकेट जनरल का यह कहना है कि चुनाव को अवैध घोषित करने के आधार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 100(1) में दिए हैं। उपरोक्त तभी इसके खण्ड घ(4) के अन्तर्गत ही आ सकती है। इस खण्ड के अनुसार यह निर्वाचन तभी अवैध हो सकता है जबकि इस प्राविधान के अनुपालन न करने से निर्वाचन परिणाम तात्विक रूप से (materially) प्रभावित हुआ है परन्तु इस प्रकार का न तो कोई अभिकथन (pleading) है और न साक्ष्य है। दोनों को मिले मतों में बहुत अन्तर है। प्रार्थी को केवल 41 व प्रतिपक्षी नम्बर 1 को 325 मत मिले थे।

प्रार्थी के विद्वान वकील का यह कहना है कि रिटर्निंग आफिसर किसी भी चुनाव का मुख्य मात्र है। चुनाव की सारी कार्यवाई उसी के निर्देश व नियंत्रण में होती है और जब उसकी नियुक्ति अवैध है तब यह उपधारणा बताई ही जा सकती है कि इस कमी का चुनाव पर तात्विक प्रभाव पड़ा है। इस सबंध में उन्होंने बार कौन्सिल आफ देहली व सुरजीत सिंह [(1980) 4 सु० को० के० 211] पर भरोसा किया। इस मामले में निर्वाचन नामावली (Electoral roll) के गलत तैयार होने को तात्विक कमी बताई थी। यह स्पष्ट भी है क्योंकि जब नामावली में नाम ही सही नहीं लिखे है तब वैध चुनाव कैसे हो सकता था।

इस मामले में नामावली जैसी कमी तो नहीं है, परन्तु बात कुछ वैसी ही है। रिटर्निंग आफिसर के किसी कार्य से दोनों अभ्यर्थियों को मिलने वाले मतों की संख्या पर तो प्रभाव पड़ता नहीं मालूम होता, लेकिन एक बात पर प्रभाव पड़ सकता था जिससे निर्वाचन का नक्शा ही बदल सकता था। रिटर्निंग आफिसर को नाम निर्देशन-पत्र (Nomination Paper) को स्वीकार या अस्वीकार करने की शक्ति होती है। हो सकता था कि प्रार्थी की प्रतिपक्षी नम्बर 1 के नाम निर्देशन पत्र की वैधता के सबंध में उठाई गई आपत्ति को दूसरा अधिकारी मान लेता। प्रार्थी की ओर से उठाई गई आपत्ति निराधार नहीं थी। जो बात उन्होंने कही थी वह यह न्यायालय मान रहा है। इसलिए प्रार्थी के इस कथन में बल है कि प्रतिपक्षी नं० 5 की नियुक्ति से चुनाव परिणाम पर तात्विक प्रभाव पड़ा है। इसलिए यह निर्वाचन निरस्त होने योग्य है।

विवाद-बिन्दु 3(ख)

प्रतिपक्षीगण की ओर से उठाई गई यह आपत्ति निराधार है विबन्ध (estopped) का सिद्धांत निर्वाचन अरजियों में ऐसे मामलों में नहीं उठाया जा सकता जैसा उच्चतम न्यायालय ने बार कौन्सिल व सुरजीत सिंह [(1980) 4 सु० को० के० 211] में कहा है।

वैसे भी विबन्ध का सिद्धांत वहां लागू होता है जहां प्रार्थी के किसी कार्य के कारण प्रतिपक्षी नं० 1 ने अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन किया हो। प्रतिपक्षी नं० 1 ने ऐसा कुछ नहीं किया। प्रार्थी व प्रतिपक्षी नं० 1 दोनों ने एक दूसरे से स्वतन्त्र रूप में अपने अपने पक्ष में नाम-निर्देशन (Nomination) पत्र दाखिल किए थे। इसलिए प्रार्थी की विवाद-बिन्दु 3(क) वाली आपत्ति उठाने से इस कारण नहीं रोका जा सकता कि उसको भी प्रतिपक्षी नं० 1 की तरह ऐसे सदस्यों ने नाम निर्देशित किया था जिन्होंने तब तक शपथ नहीं ली थी। अतः यह विवाद-बिन्दु प्रतिपक्षगण के खिलाफ तय किया जाता है।

विवाद बिन्दु नं० 4

यह ठीक है कि जिस आधार पर प्रतिपक्षी नं० 1 के नाम निर्देशन पत्र (Nomination Paper) अवैध मान गया, वही आधार प्रार्थी के लिए भी लागू होता है। वैसे भी ऐसे अनेक सदस्यों ने नाम-निर्देशित किया जिन्होंने शपथ ग्रहण नहीं की थी। इसलिए उसका भी नाम निर्देशन अवैध हो गया।

प्रतिपक्षी गण के विद्वान वकील का इसलिए यह कहना है कि इस तरह प्रार्थी भी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 79 (ख) में दी गई परिभाषा के अनुसार अभ्यर्थी नहीं रहा। अतः धारा 81 के अन्तर्गत उसे निर्वाचन अरजी पेश करने का अधिकार नहीं है। उनका यह तर्क सही नहीं है। धारा 79(ख) में अभ्यर्थी की परिभाषा निम्न प्रकार है :—

"अभ्यर्थी से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी निर्वाचन में अभ्यर्थी के रूप में सम्यकृत : (इयुली) नाम निर्दिष्ट किया गया है या सम्यकृत नाम निर्दिष्ट होने का दावा करता है।"

धारा 81 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अनुसार निर्वाचन में की कोई अभ्यर्थी निर्वाचन अरजी दे सकता है।

इसी के साथ धारा 36(8) के प्राविधान भी देखने चाहिए। इसमें यह है :—

(8) रिटर्निंग आफिसर सब नाम-निर्देशन पत्रों की सविक्षा किये जाने और उनके प्रतिग्रहीत (Accepting) या, प्रतिक्षेपित (Rejecting) किये जाने के विनिश्चयों के अभिलेखित किये जाने के अव्यवहित (immediately) पश्चात् विधिमान्यतः नाम निर्दिष्ट अभ्यर्थियों की अर्थात् उन अभ्यर्थियों की, जिनके नाम निर्देशन विधि-मान्य ठहराये गये हैं, सूची तैयार करेगा और उसे अपने सूचना पट पर लगायेगा।

अत धारा 79 (ख) व 36(8) प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 से स्पष्ट है कि धारा 79(ख) मे उन्ही अभ्यार्थियो से तात्पर्य है जिनके नाम निर्देशन पत्र विधिमान्य ठहराये गये है। ये अभ्यर्थी ही निर्वाचन मे भाग ले सकते है। धारा 81 के अनुसार इस निर्वाचन मे का कोई अभ्यर्थी अर्थात् जिसने निर्वाचन मे भाग लिया है, निर्वाचन अर्जी दे सकता है। इस न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय का भी यही मत है।

इस न्यायालय ने चतुर्भुज बनाम इलेक्शन ट्रिब्युनल (ए० आई० आर०) 1958 इला० (809) मे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 79 (ख) में प्रयुक्त शब्द (अभ्यर्थी के लिए लिखा है कि इससे तात्पर्य इन व्यक्तियो से है जिनके नाम इस अधिनियम की धारा 36(8) के अनुसार तैयार की गई सूची मे लिखे है। यह प्रश्न बाद को निर्वाचन ट्रिब्युनल तय कर सकती है कि किसी अभ्यर्थी का नाम निर्देशन पत्र विधिवत् मान्य नही था। परन्तु इससे उसके निर्वाचन में अभ्यर्थी न होने की बात से इन्कार नही किया जा सकेगा।

उच्चतम न्यायालय के केशव लक्ष्मन ब० डा० देव राव (ए० आई० आर० 1960 सु० को० 131 पैरा 5) मे यही कहा। उनका कहना है कि :—

'यह ठीक है कि किसी नाम-निर्देशन पत्र का समीक्षा के बाद स्वीकार किया जाना अन्तिम नही है और उसे निरस्त किया जा सकता है जैसा इस मामले मे चुनाव अधिकरण ने किया है, लेकिन धारा 36(8) के अन्तर्गत नाम-निर्देशित अभ्यर्थी बनाती है :—

कम से कम निर्वाचन में मत लेने के लिए। दूसरे शब्दों में रिटर्निंग आफिसर द्वारा नाम-निर्देशन पत्र की स्वीकृति इस सीमा तक अन्तिम है कि विधिवत् स्वीकार किया हुआ नाम निर्देशन पत्र निर्वाचन का आधार होना चाहिए। और वह अभ्यर्थी जिसका नाम-निर्देशन पत्र स्वीकार किया गया है ऐसा व्यक्ति माना जाना चाहिए जिसको मत दिये जा सकते हैं।"

यदि प्रतिपक्षीगण के विद्वान वकील की बात इस सम्बन्ध में मानी जावे तब ऐसा व्यक्ति निर्वाचन के खिलाफ कोई कार्रवाई ही नहीं कर सकेगा। संविधान के अनुच्छेद 329(11) के अनुसार बिना निर्वाचन अर्जी के किसी चुनाव के परिणाम को चुनौती नही दी जा सकती।

इसलिए प्रार्थी को, जिसका नाम-निर्देशन पत्र स्वीकार कर लिया गया था, निर्वाचन अर्जी देने का अधिकार है। प्रार्थी के स्वयं के नाम-निर्देशन के अवैध होने से इतना ही प्रभाव है कि उसके पक्ष मे निर्वाचन होने की रिलीफ (Relief) नही दी जा सकती। वैसे उसने ऐसी प्रार्थना भी नही की।

अत यह विवाद-बिन्दु प्रार्थी के पक्ष मे तय किया जाता है। विवाद बिन्दु नम्बर-7 —

विवाद-बिन्दु नम्बर 2(ग), 3(क) और 5 मे दिये गये निष्कर्षों के अनुसार प्रार्थी वह अनुतोष (रीलिफ) जो उसने मांगा है पाने का अधिकारी है।

अत यह घोषणा की जाती है कि अभ्यर्थी प्रतिपक्षी नम्बर 1 श्री पी० एन० शुक्ल का राज्य-सभा के लिए निर्वाचन शून्य हैं प्रार्थी इस निर्वाचन अर्जी का खर्चा प्रतिपक्षी नम्बर 1 से पाने का अधिकारी है। इस खर्चे की राशि रु० 500/- तय की जाती है।

[स० 82/उ० प्र०/7/80(लख०)]

हस्ता०/-

महावीर सिंह, न्यायमूर्ति,

ओ० ना० नागर, अवर सचिव।

तिथि: 10 जुलाई, 1981

673 GI/81—4

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, the 3rd September, 1981

O.N. 1180.—In pursuance of Section 106 of the Representation of the People Act, 1951, (43 of 1951), the Election Commission hereby publishes the Judgment dated the 10th July, 1981 of the High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow Bench, in Election Petition No. 7 of 1980.

Court No. 7

ELECTION PETITION NO. 7 OF 1980

Nem Chand Jain Vs Pashupati Nath Sukla & Ors.
Hon'ble Mahavir Singh, J.

This election petition has been filed by petitioner against Sri Pashupati Nath Shukla, Opposite Party No. 1 being elected member of the Council of State in July, 1980 from the U.P. State Assembly Constituency. The relevant facts are as follows :—

Before, this election, Sri Kamlapati Tripati was member of the Council of States. He had resigned from his seat. This bye-election was held to fill up that vacancy. On 17-6-1980 the Election Commission issued a Notification under Section 147(1) of the Representation of the People Act, 1951 calling upon the elected members of the Legislative Assembly of Uttar Pradesh to elect a person for the purpose of filling that vacancy before 7th July, 1980. In that connection the following programme for election was fixed :—

(a) 24-6-1980—the last date of filing nomination paper;

(b) 25-6-1980; the date for scrutiny of nomination papers ;

(c) 27-6-1980; the last date for the withdrawal of the candidature ;

(d) 4-7-1980 : the date of which, if necessary, the poll would take place ;

(e) 6-7-1980 ; the date before which the election will be completed.

The same day the Election Commission as required by section 21 of the Representation of People Act, 1951, in consultation with the Government of State of U.P. appointed Sri S P. Singh, Secretary, U.P. Legislative Assembly, Lucknow Opposite party No. 5 as Returning Officer. Sri S. P. Singh also the same day i.e. 17-6-1980, issued a notice and fixed the programme to the effect that the candidates would file their nomination papers by 3 P.M. on 24th June, 1980.

The petitioner and opposite party No. 1 both filed their nomination papers by the 24th of June 1980. At the time of scrutiny of June 25, 1980, certain objections were raised against the nomination papers of Opposite Party No. 1, out of which only one objection is relevant here. It is that those members who proposed name of opposite party No. 1 were not competent to do so as they had not taken oath as elected members. The Returning Officer rejected this objection of the Petitioner. Accordingly on 4-7-1980, poll took place and the petitioner got only 41 votes while opposite party No. 1 got 325 votes. The Returning Officer declared opposite party No. 1 as elected. On 12-8-1980 the petitioner filed this election petition.

The case of the petitioner was that the election of the members of the U.P. Assembly held in the first week of June 1980 was all illegal. In this connection he has pointed out that on 17-2-1980 the previous Legislative Assembly had been dissolved by the President by issuing a notification under article 356 of the Constitution of India and in accordance therewith he had assumed all powers of the Governor of the State. Hence the power vested in the Governor under section 15(2) of the Representation of People Act, 1951 for issue of notification calling for general election also became vested in the President. Therefore, the notification for the general election issued on 25-4-1980 by the Governor was illegal. The Governor had not taken any prior sanction for the issue of this notification. The Election Commission had requested only the Governor for issue of notification for

the election, whereas it should have been made so to the President. Hence the election of members in an election held under such a notification was itself illegal and, therefore, none of them had any right to take part in the election for the Council of States.

The second objection on behalf of the petitioner was that Sri S. P. Singh could not have been appointed as Returning Officer for this election as under section 21 of the Representation of Peoples Act, 1951 only an officer of the Government could be so appointed and Sri S. P. Singh was a Secretary of the Legislature only and not an officer of the Government.

The third objection on behalf of the petitioner was that at the time when the members filed nomination papers of opposite party No. 1 they had not taken the oath required on being elected as member of the Legislative Assembly, (This oath was taken on 27th June, 1980). Hence the nomination paper filed for opposite party No. 1 as on 24-6-1980 was invalid and, therefore, the returning officer and commited a legal error in rejecting his objection.

The last objection in this connection was that the electoral roll which was prepared for the election was also invalid. His contention was that the Electoral Roll could be prepared only by the Returning Officer but it had been circulated at 11 P.M. even before his appointment.

The petitioner had impleaded in this election petition, besides opposite party No. 1 the Election Commission (Opposite Party No. 2), the State of U.P. (Opposite Party No. 3) Governor of U.P. (Opposite Party No. 4) and the Returning Officer Shri S. P. Singh (Opposite Party No. 5) as respondents.

Opposite Party No. 1 had filed a separate written statement, Opposite parties 2, 3 and 4 had filed a separate Joint written statement and opposite party No. 5 had not filed any written statement.

In both the written statements common points have been taken and hence they are not being separately described and only common points are being given here briefly. On their behalf it was said that the procedure commenced by the Governor on the recommendation of the Election Commission by the issue of a notification was valid. The President had delegated all his powers to the Governor. The only condition mentioned was that the Governor would exercise these powers under the superintendence, direction and control of the President. The President had not taken any action against the order passed by the Commission. Therefore, it was clear that he had approved of the work of the Governor. It was also said on their behalf that Sri S. P. Singh was duly appointed as Returning Officer. He is actually a Government Officer. They also disputed this contention of the petitioner that the newly elected members of the Legislativ Assembly were not competent to take part in the election procss. It was said that their election had been declared long ago by the Returning Officer and the Election Commission had also issued a notification under section 73 of the Representation of the People Act, 1951 on 9-6-81 (sic) and from that date the Legislative Assembly would be deemed to have been constituted. The taking of oath was needed only for work to be done within the precincts of the Legislative Assembly House. Before taking oath they could do other acts. It was also said that the Electoral Roll was distributed on 19-6-1980 and not on 17-6-1980. It was also said that the petitioner could not raise any objection in this election petition against the election of members and that he could not raise any objection even against opposite party No. 1 on the ground of his proposers not taking oath as his own nomination paper was also filed by such members who had not taken the oath.

It was lastly contended that making of opposite parties Nos. 2 to 5 as respondents was in violation of the provisions of section 82 of the Representation of Peples Act, 1951.

On the consideration of the pleadings of the parties the following issues were framed :—

(1) Whether opposite parties 2 to 5 have been wrongly impleaded in violation of provisions of section 82 of the Representation of People Act, if so, to what effect ?

(2) (a) Whether opposite party No. 5 was an officer of the Government or of local authority within the meaning of section 21 of the Representation of the Peoples Act, 1951 ?

(b) If not, whether he could be validly appointed as Returning Officer for conducting the election in question ?

(c) If, not whether the election conducted by him is void ?

3. (a) Whether in the absence of any oath taken by M.L.As, nomination by them of opposite party No. 1 as a candidate was invalid and if so, whether his nomination was wrongly accepted by Returning Officer, opposite party No. 5 ?

(b) Whether the petitioner is estopped from questioning the nomination of opposite party No. 1 in view of the allegations made in para 37 of the written statement of opposite parties Nos. 2 to 4 that he (petitioner) too was nominated as a candidate in similar circumstances ?

(4) Whether the petitioner is not entitled to question the election of opposite party No. 1 in view of the allegations made in para 39 of the written statement of opposite parties Nos. 2 to 4.

5. (a) Whether the electoral roll was validly prepared ?

(b) If not, to what effect ?

(c) Whether the petitioner is not entitled to challenge the validity of the electoral roll in the present election petition as alleged in para 33 of the written statement of opposite parties Nos. 2 to 4 ?

6. (1) Whether the persons who took part in the voting were not entitled to vote ?

(b) Whether the voters were not validly elected in view of the allegations made in para 18 to 27 of the petition and, as such, were not entitled to vote or propose ?

(c) Whether the petitioners is not entitled to challenge the election of the other M.L.As in this petition as alleged in para 28 of W.S. filed by O.P. numbers 2 to 4 ?

(7) To what relief is the petitioner entitled to get ?

Out of the above issues, issue No 1 was made a preliminary issue. By my order dated 25-2-1981 I had accepted the objection raised on behalf of the opposite parties in part. It was decided that opposite party number 4 the Governor of the State of U.P. was wrongly impleaded as party, but impleadment of other persons was not against the provisions of the Representation of the Peoples Act. Accordingly the name of the opposite party No. 4 was deleted from the list of Opposite parties.

I shall consider these issues from a different sariatim so that those issues would be considered first which are concerned with the election process at the first stage and, thereafter, the objections raised in connection with the subsequent election process.

Issue Nos. 6(a) and(b)

Ext. 3 that validity of which has been objected to in this petition is as follows.

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH

NIRVACHAN VIBHAG

No. E 7214/XVII-A-137/80

Dated Lucknow April 25, 1980

NOTIFICATION

Whereas the Legislative Assembly of Uttar Pradesh has been dissolved on 17th February, 1980 by the President under article 356 of the Constitution.

And whereas it is necessary to hold a general election for the purpose of constituting a new Legislative Assembly for this State ;

Now, whereas in pursuance of sub-section (2) of section 15 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Governor of Uttar Pradesh is hereby pleaded, as recommended by the Election Commission, to call upon all the assebly constituencies in the State to elect members in accordance with provisions of the said Act and the Rules and Orders made thereunder.

By order of the Governor,

Ramesh Chandra Deo Sharma Sachiv"

The question is whether the Governor had the power to issue such a notification ? In this connection those notifications would have also to be considered by which the President had assumed the powers of the Governor and by which he had delegated his powers to the Governor.

Ex. 1 is the notification which was issued by President on 17-2-1980 while dissolving Legislative Assembly of Uttar Pradesh. The relevant portion thereof is being quoted below —

"Whereas I, Neelam Sanjiva (sic) Reddy, President of India, am satisfied that the situation has arisen in which the Government of Uttar Pradesh can not be carried on in accordance with the provisions of the Constitution of India hereinafter referred to as "The Constitution".

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Article 356 of the Constitution and of all other powers enabling me in that behalf, I hereby proclaim that :

(a) assume to myself as President of India all functions of the Government of the said State and all powers vested in or exercisable by the Governor of that State.

(b) ....

(c) make the following incidental and consiquential provisions which appear to me to be necessary or desirable for giving effect to the object of this proclamation, namely,

(i) in exercise of the functions and powers assumed to myself by virtue of clause (a) of this Proclamation as aforesaid, it shall be lawful for me as President of India to act to such extent as I think fit through the Governor of the said State ;

(ii) The operation of the following provisions of the Constitution, in relation to the State is hereby suspended.

Article 163 and 164 :

So much of clause (3) of article 166 as relates to the allocation among the Ministers of the business of the Government of the State.

....

(iii) The Legislative Assembly of the said State is hereby dissolved ;

(iv) Any reference in the Constitution to the Governor shall in relation to the said State be construed as a reference to President and any reference wherein to the Legislature of the State or the Houses thereof shall, in so far as it relates to the functions and powers thereof be construed, unless the context otherwise requires as a reference to Parliament, and in particular, references in Article 213 to the Governor and to the Legislature of the State or the House thereof shall be construed as reference to the President and a Parliament or to the House thereof respectively.

Provided that nothing here it shall affect the provision of article 158, Articles 155 to 159 (both inclusive). Article 290 and article 361 and paragraphs 1 to 4 (both inclusive of the second Schedule or prevent the President from acting under sub-clause (1) of this clause to such extent as he thinks fit through the Governor of the said State.

(v) ....

New Delhi,
the 17th February, 1980.

NEELAM SANJIVA REDDY,
PRESIDENT
SRINIVASAVARADAN,
(SECRETARY)

New Delhi, the 17th February 1980.

Another order passed by President delegating his powers to Governor is as follows :—

New Delhi, the 7th February, 1980, G.S.R. 39(R) : The following order by the President is published for general information :

In pursuance of Sub-Clause (1) of Clause (c) of the Proclamation issued on this the 17th of February, 1980 by me under Article 356 of the Constitution by India, I hereby direct that all the functions of the Government of the State of Uttar Pradesh and all the powers vested in or exercisable by the Governor of that State under the Constitution, or under any law in force in that State which have been assumed by the President by virtue of clause (a) of the said Proclamation, shall subject to the superintendence, direction and control of the President, be exercisable also by the Governor of the said State.

New Delhi, the 17th February, 1980.

NEELAM SANJIVA REDDY,
PRESIDENT
T. C. A. SRINIVASAVARADAN
SECRETARY"

New Delhi, the 17th February, 1980.

The contention of the learned counsel for the petitioner is that he word 'subject' means that the Governor was to obtain prior consent of the President before exercising such power and there was no evidence in this connection, nor there was any pleading that the Governor had taken prior consent of the President before issue of such a notification. Hence the case of learned counsel for the petitioner is that this notification was invalid.

I do not agree with this contention of the learned counsel for the petitioner. The word 'subject' does not mean that the Governor was to take prior consent of the President before exercise in all those powers. This merely means that while in the exercise of such powers the President can issue any direction which he thinks fit and it would be obligatory for the Governor to act in accordance therewith.

The learned counsel for the petitioner has mentioned a number of rulings on page 8 of his written arguments but none of them interprets the sentence "subject to the superintendence, direction and control". On the other-hand, the learned Advocate General on behalf of the opposite-parties has referred to Associated Transport Vs. Union of India (A.I.R. 1978 Madras, 173). Therein this opinion was given that after issue of such a notification, it will be totally inappropriate to call the Governor a delegate or an agent of the President. The result is that the Governor acts as if the President himself acts, subject of course to the superintendence, direction and control of the President.

The learned counsel for the petitioner also contends that the President has no power to delegate his powers which he had assumed himself under article 356 of the Constitution to any other authority. This contention is also not correct Article 356(1)(c) empowers the President to make incidental and consequential provisions for giving effect to the objects of the Proclamation. It is an incidental point whether the President would use all his powers himself or whether he would get it done through another. It is not possible for the President that besides work in connection with the affairs of the Union, he shall also himself do the work of State Government for will exercise the powers vested in the Governor. Therefore, if he delegates his

powers to such an extent as he thinks fit, it would be under the provisions of the proclamation. Of course as held in Re Article 143 of the Constitution of India and Delhi Laws Act, 1912, AIR 1951 S.C. 332 he should not addicate his powtrs completely. The President has, however, not done so. He has imposed a condition that the Governor would exercise these powers subject to his superintendence, direction and control. By this way the President can seen whether the Governor was doing work properly or not and he can also give direction in connection with his actions and can also control them. Therefore, the President had not acted against the powers given to him by Article 356 of the Constitution. Hence the order by which the President and delegated his powers to the Governor was valid and, therefore, the notification issued by the Governor on 25-4-1980 cannot be regarded as illegal.

Similarly, the contention raised by the learned counsel for the petitioner is not acceptable that while issuing this notification on behalf of the Governor, he should have issued the notification as under the orders of the President, then the Governor can himself issue such a notification, it was not necessary for him to describe it as under the orders of the President.

Learned counsel for the petitioner contends that the Election Commission could recommend only to the President for issue of a notification and not to the Governor as all his powers were vested in the President. This is also not correct. As pointed out above, the President had given all his powers which he had assumed to himself by that notification to the Governor under some conditions. Therefore, the Election Commission could also make recommendation to the Governor.

In this connection it has also been said that there is no signature of the Governor on this notification and Shri R. C. Deo Sharma the Law Secretary had issued his notification by writing under orders of the Governor. The case in this connection was that Article 166(3) of the Constitution under which the Governor can make rules for convenient transaction of the business of the State Government, had been suspended by the notification dated 17-2-1980 and therefore, the Law Secretary had no power to issue notification on his behalf. This contention is also not correct. By the notification dated 17-2-1980 Ex. 1 the whole clause (3) of Article 166 had not been suspended. Only that part was suspended which made a provision about allocation of the business among the Ministers and the council of Ministers had been dissolved. Hence due to non-suspension of the remaining portion of this clause, the Governor could get that work done through his Secretary in accordance with the rules for distribution of work. Hence the notification issued by the Governor for the election was completely valid and the election held there under could not be regarded as invalid at all. Therefore, the members elected in such an election would be regarded as duly elected. Hence both the parts of this issue are decided against the petitioner.

Issue No. 6(1): In view of the ponion given in regard to issue no. 6(a) and (b) it is not necessary to dispose of this part. It is, however, sufficient to say that the objections raised by the onposite parties in this connection is not correct. The Petitioner is not making any prayer for declaring the election of other elected members of the Assembly to be invalid. There is no doubt that the election of a member could be challenged only through an election petition. But here the petitioner is not challenging the election of any particular member. He has challenged the validity of the entire election. As it affects the disputed election, the petitioner can raise all such points in the election petition which according to him are necessary for declaring this election to be invalid.

Issue No. 2(a) : Both the parties agree that Shri S. P. Singh O. P. No. 5 is not an officer of the local Authority. There is a dispute whether he is an officer of the Government or not.

Learned counsel for the petitioner contends that State had three organs : Executive, Legislatures and Judiciary. The word 'Government' means executive only. The 'Judiciary' and 'Legislature' are not regarded as organs of the Government. They are organs of the State, hence the officers working in these organs cannot be called officers of the Government. They are merely officers in the service of the State. In this connection he has also pointed out that a person who is an officer of the Government would clearly be under the Government because no official of the Government can be regarded above the Government. In this connection by referring to Pradatta Kumar Bose Vs. Hon'ble Chief Justice of Calcutta High Court 1955(2) S.C.R., 1331, Baldeo Raj Gulati Vs. Punjab and Haryana High Court (1976(4) S.C.R. 201), Union of India Vs. Shieth (1977(4) S.C.C. 193), Har Govind Pant Vs. Dr. Raghukul Tilak (1979(3) S.C.C. 498) he says that the employees and judicial offi er of the judiciary cannot be regarded as the officers under the Government. In Pradutta Kumar Bose (supra) the question was about Registrar of the High ourt Baldeo Raj Gulati (supra) was case about some Judicial Officer. In Union of India Vs. Shieth (supra) while referring to the constitutional position of the Judges of the High Court, and Supreme Court, it was observed that they were not officers under the Government. There was no relationship of employer and employee between them and the Government. At page 236, para 49 they referred to the following which shows that they are part of the State and not of the Government :—

> "He is as such part of the State as the Executive Government. The State has in fact three organs, one exercising Executive power, another exercising legislative power and the third exercising judicial power. Each in independent and supreme within its allotted sphere and it is not possible to say that one is superior to the other. The High Court constituted of the Chief Justice and other Judges, exercise, the judicial power of the State and is coordinate in position and status with the Governor aided and advised by the council of Ministers, who exercises the executive power and the legislative assembly together with the legislative council, if any, which exercises the Legislative power of the State."

In Targovind Pant Vs. Dr. Raghukul Tilak (supra), the Supreme Court while approving the earlier ruling again observed that the Judges of the High Court and the Supreme Court were not under the Government of India though they were exercising the powers of the State. On the same view the officer exercising the powers of the Legislature would not be called an officer under the Government, and, as such, would not be an officer of the Government.

Learned Advocate General who appeared on behalf of the opposite parties laid emphasis on the fact that in reality all these three kinds of powers merely exercise Governmental function. He did not accept this contention of the learned Counsel for the petitioner that the word 'Government' means only the 'Executive'. In this connection, he has relied on certain observations made in Re; Shri Sundar Lal (A.I.R. 1919 Allahabad 91 F.B.), Sharkari Prasad Vs. Union of India (A.I.R. 1051 S.C. 456. In Re : Sundar Lal (supra) the phrase the Government in British India as by law 'established' in section 4 of the press Act was explained. They pointed out that the phrase 'Government established in British India' meant an established authority which governs the country and its public affairs and includes all those representatives, to whom the work of the Government has been entrusted. Thus the learned Advocate General contends that as the Legislature also is an established authority, the work done by it is a Governmental, function. He has also emphasised on the following quotation given in para 13 in Shankari Prasad Singh Vs. Union of India (Supra) :—

> "Dicoy defines constitutional law as including" all rules which directly indirectly affect the distribution or the exercise of the sovereign power in the State." It is thus mainly concerned with the creation of the three great organs of the State, the executive, the Legislature and the judiciary, the distribution of Governmental power among them and the definition of their mutual relation."

By this quotation he contends that there is only a distribution of Governmental power among the executive, the legislature and the judiciary and hus tach being part of the

Government employees working therein would be called officers of the Government.

These quotations do not clear the disputed point in Re: Sunder Lal (supra) the question was a different one. In Shankari Prasad Singh Vs. Union of India the function of State has been described as a 'Governmental function'. The distinction between 'the State' and 'the Government' was not in issue there. It is undisputed that 'State' and 'Government' are two different concepts. In State of Rajasthan Vs. Union of India 1977(3) S.C.C. 592 this distinction has been considered extensively. It is a different thing that there was a difference of opinion among themselves whether for the purpose of Article 331, the word 'State' used in the phase regarding a dispute between Government of India and one or more State would include the Government of the day or not.

Beside this, the word 'Governmental function' and 'Government' cannot be used in the same sense. The use of the word 'Government' is being taken in a limited sense, whereas the word 'Governmental function' can have a wider meaning. The most that can be said is that the word 'Government' can be used in two senses. One is a limited. one i.e. it concerns the executive as is contended by the petitioner and the other is a wider meaning to which it includes all these three parts as is contended by the learned Advocate General on behalf of the opposite party. Hence we would have to see in what sense it has been used in our legal system. The Constitution of India is the base of all our legal system. Hence we have to see the provisions of the Constitution in this connection i.e. we have to see what meaning has been given to the word "Government" in our constitution. In Article 12 of the Constitution the word 'State' has been defined. There it includes the Government, the parliament of India, the Government and Legislatures of each of the States and all local or other authorities within the territory of India or under the Control of the Government of India. Here the word 'Government' has been used only for execution and it has not been used for Parliament or other authorities otherwise, they would not have been secretely mention. In Re: Ramanandan Vs. State (1959 Allahabad 131 F.B.) it has been pointed out in this connection that under the Constitution there is no definition of the word 'Government' and in Section 3(23) of the General clauses Act. this word has been defined to include both Central and State Governments. Thus here also in the definition of the word 'Government' 'Legislature' or 'Judiciary' have not been included and so Government can mean be only the executive. In the Constitution wherever 'Judiciary' or 'Legislature' have been mentioned they have never been described under the name of Government.

Under Article 89 to 98 of the Constitution of India there is mention of the Officers of the parliament and under Article 178 and 187, there is a mention of officers of Legislature. Under Article 98 there is provision of Secretariat of Parliament and under Article 187 there is provision for Secretariat of Legislature and it has been provided that each of them would have their separate secretarical staff.

This distinction is also clear from Article 310 and 311 of the Constitution. There is a mention of two kinds of services: one under the Union or State Government and the other is simply described as services of the Union or of the State. Hence these employees who are not under the Union or the State i.e. under the Union or the State Government but are employees of other organs of State or of judiciary or legislature came under Second Category (Vide Baldeo Raj Gulati (Supra) page131. Rules have been framed for employees of Secretariat of the Legislature of Uttar Pradesh in 1974. In Rule 48 there is a provision that Government Servants Conduct Rule would also apply to the employees of the Secretariat of the Legislature. This further clarifies that the employees of the Secretariat are not Government Servants otherwise there was no necessity to apply to these rules pertaining to the Government servants.

Besides this it is also necessary to seen in what context this word has been used in Section 21 of the Representation of Peoples Act. Section 21 of the Representation of people act, 1951 reads as follows:—

> "21 Returning Officer. Forevery constituency for every election to fill a seat or seats in the council of States and for every election by the members of the Legislative assembly of a State to fill a seat or seats in the Legislative Council of the State, the Election Commission shall, in consultation with the Government of the State, designate or nominate a returning officer who shall be an officer of Government or of a local authority."

It is thus clear that the word 'Government used on second occasion was an abreviated form of the word Government of State Government of State means only executive Government. It is only in consultation with it that the Election Commission appoints returning officers and not in consultation with the officers of the Legislature or the Judiciary. If a different meaning of the word 'Government' was desired, it should have been specified here, if one word is used in a section twice it would have the same meaning. Hence the way in which the word 'Government' has been used in section 21 of the Representation of Peoples Act also clearly shows that the word 'Officers of the Government' means an officers of the Government of State i.e. officer of the executive and not of others.

The way in which the State Government has issued notification for appointing different officers as returning officers also makes it clear that the officers of the legislature are not officers of the Government, Ext. 2 is the notification which was issued by the State Government on 5.4. 1980 for appointing returning officers for various constituencies. It language is as follow :—

> .....
>
> the Election Commission hereby designates in consultation with the Government of Uttar Pradesh the Officer of the Government specified in Column 2 of the Table below as the Returning Officer of Assembly Constituency in the State of Uttar Pradesh as specified in Colum 1 of the said Table against such officer of the Government."

Thereafter in the table there are names of the officers and other authorities. But Sri S. P. Singh has been appointed as Returning Officer by the following notification (Ext.5no. 100/CS, U.P./3180(4).

> "In exercise of the powers conferred by section 21 of the Representation of Peoples Act, 1981 the Election Commission in consultation, of the Government of Uttar Pradesh hereby designates Secretary, U. P. Vidhan Sabha, Lucknow, to the Returning Officer.

Here they did not describe the Secretary as an Officer of the Government as was done for other officers in the earlier notification quoted above. This also makes it clear that the State Government, also did not regard Secretary Sfate Legislature to be an officer of the Government for the purposes of Section 21 of the Representation of People Act, 1981. Hence my finding on this issue is that opposite party No. 5 Sri S. P. Singh was not an officer of the Government in the context of section 21 of the Representation of Peoples Act, 1951. He is an officer of the Legislature and thus was an officer of the State.

Issue No. 2(b) :

The result of the finding is that Sri S. P. Singh could not be appointed as Returning Officer for the disputed elected.

Learned counsel for the petitioner has also mode one more submission in this connection. This contention was that the Election Commission could appoint an officer of the Government as Returning Officer only with consultation of the Government of the State of U. P. but the time when Sri S. P. Singh was appointed as Returning Officer, there was no Government of the U. P. State. He connection is that V. P. Legislature had been dissolved and thus there did not exist the Government of U P. as well and the entire government function of the State of U. P. was taken over by the President and the Parliament. I do not

agree with this connection of the learned counsel for the petitioner. For running of the Government of U.P. it is not necessary that it must be seen always through a council of Ministers as is the case of the learned council for the petitioner. The State Council of Ministers works only so long as the legislature or the council of Ministers is not dissolved. On proclamation of emergency the function of the Government of U.P. State is entrusted on the President.. . . . and the parliament but even then they will be said to be. . . . .. .doing only the work of the Government of State of U. P. Therefore, by it proclamation there is only change in the method of Government of the State of Uttar Pradesh and nothing else. Hence there is no mistake in this notification.

However, as stated above, as Sri S. P. Singh was not an officer of the Government within the meaning of Section 21 of the Representations of Peoples Act. He could not be appointed as Returning Officer.

Issue No. 3 (a) ;

This is admitted to the parties that the nomination paper of opposite party No. 1 had been filed in this case upto 24th June, 1980 and those members of the legislature who had proposed the name of opposite party no. 1 had not taken oath as elected members of the Legislature. The programme of taking oath commenced on 27th of June, 1980. Of course the poll took place after the members had taken their oath. The contention of the learned counsel for the petitioner is that those members who had filed the nomination paper of the name of opposite party no. 1, were not competent to nominate as till then they had not become members of the Legislative Assembly. They became members only after they took oath which took place on 27th June, 1980 or thereafter. On the other hand the learned counsel for opposite party no. 1 says at the declaration of result of election of the members of the Legislature was made on 9th June, 1980 as provided in Section 66 of the Representation of Peoples Act, 1951. There is also a provision in Section 6/(a) of this Act that the date, on which a returning officer declares the election of elected members, will be deemed to be the date of election of that candidate for the purpose of this Act. Thereafter, a notification can also be issued under section 73 of the Representation of Peoples Act. It provides that there shall be notified in the official gazette as soon as possible after the results of the election have been declared under section 53 or 66, the names of members elected from those constituencies and upon the issue of such a notification, the house or assembly as the case may be, shall be deemed to be duly constituted. Thus the U.P. Legislative Assembly had been constitued before 24th of June, 1980 and the date of election of those members who had nominated opposite party no. 1 was also regarded as 9th of June, 1980. Hence this contention that they were not members of the State Legislative Assembly and that they had no right to nominate was not correct. It was also contended that the provision for taking oath under Article 188 is for doing work in the assembly and not for other acts. The learned counsel for the petitioner however, contends that the necessity of taking oath is not confined only for doing the work within the precinct of the Legislative Assembly, but in reality he will not do any work as member of the Legislative Assembly unless he has taken oath.

In this connection he has referred to the certificate which is given to every person on being elected as member of the Assembly by he returning officer. It is form No. 24 of the Conduct of Election Rules 1961, which is as follows :—

"I Returning Officer for the election to the ..... hereby certify that I have on the..... .....day of ..... declare Sri .....to have been duly elected to be a member of the.....and that in token thereof I have granted to him this certificate of election.

Returning Officer"

The learned counsel for the petitioner has laid great amphasis on the word' and contends that this word shows that till then they have not become members and they are only members designate. Similarly, the oath which is administered to a member of the Assembly before taking his seat is given in Form No. 7B which is given in Third Schedule of the Constitution. This is as follows :—

"I.....having been elected as member of the Legislative Assembly, do aweai in the name of God that I will bear true faith and allegience to the Constitution of India as by law established and that I will uphold the sovereignty and integrity of India and that I will discharge the duty which I am about to enter."

The meaning of the above underlined portion is said to be that a member cannot discharge the duty of office upto the time of taking oath. He can do so only after he takes oath. Here oath is not required to be taken for any specific function. It is in connection with the office for which he has been elected.

It is also to be considered that a person who is elected for the assembly is elected for an office and not for any particular seat inside the precinct of the Legislative Assembly.

The word Office' means as shown in Smt. Kanta Vs. Nanak Chand Khurana, 1969, (3) S. C. C, 268 Para 6 that position or place to which duties of public nature are attached.

For persons who are appointed under the Constitution whether they are judges of the Supreme Court of High Court President or Vice President, the order of their appointment cannot be said to have taken effect untill they take oath of their office. While considering the case of a judge of the High Court in Shabbir Vs. State AIR 1965, Allahabad 97, Para 3, it was mentioned that a person who is appointed a judge of the High Court remains, before he takes oath, only judge designate.

In this connection it would not be out of place to quote the views of Dr. Ambedkar. In the Constituent Assembly (Debates) Vol. VIII, P-131, while replying for the amendment proposed by Professor Shah :—

"If Prof. Shah were to refer to article 81 and also note the heading "Disqualifications of Members" the first thing he will realise is that merely because a candidate has been elected to Parliament, does not entitle him to become a Member of Parliament. There are certain, what I may call ceremonies that have to be gone through before a duly elected candidate can be said to have become a member of Parliament. One such thing which he has to undergo is the taking of the oath. He must first take the oath before he can take his seat in the House. Unless and untill he takes the oath he is not a member and as long as he is not a member he is not entitled to take a seat in the House. That is the provision. Unless candidates take their oath and take their seat, they do not become a members and they do not become entitled to elect the speaker. "That do not become entitled to taking of oath, becoming a member..... it is thus clear that so far as our Constitution is concerned, no person becomes entitled to be a member of the Assembly on being elected as such until he takes oath.

The same can be said about a notification issued for constitution of Assembly under section 73 of the Representation of Peoples Act, 1951. In the provision this section, there is a provision that it would not effect the duration of the State Legislative Assembly, if any, functioning immediately before the issue of the said notification. This shows that Constitution is one thing and being entitled to work for the same is different. Under Article 172(1) of the Constitution there is a provision that the duration of the assembly of a State shall commence from the date appointed for its first meeting. Therefore, the duration of the Legislative Assembly did not commence from 9th June, 1980 when the notification section 73 of the Representation of Peoples Act was issued for its constitution. But it begain from the date its first meeting was called, which is 27th June, 1980. On that date it would be said to have started functioning. A general election can then be held before the dissolution of a legislative assembly, but newly elected legislative Assembly, would start functioning only after the expiry of the period of earlier Legislative Assembly. It was said so in connection with the House of People in Bhola Nath Vs. Union of India. A.I.R. 1963, Allahabad, 63. It has been mentioned therein that the effect

of the Article 83(2) of the Constitution is that the House of People does not start functioning from the date of issue of notification under section 73 of the Representation of Peoples Act, but its duration starts from the date when its first meeting is called. Hnece, in reality, only from that date the elected members of the House can be called members of House of People. The same thing applies to the Legislative Assembly. As Article 172 is in similar terms as Article-83, it cannot be thought that while the duration of a legislative Assembly would commence from the date of its first meeting, the duration of its members would begain from the date of the declaration of election. It is true that for the purposes of section 67(a) of the Representation of Peoples Act, 1951, the date of election of a candidate is the date on which the result of his election has been declared by the Returning Officer. But this date is for the purpose of that Act and not for his period. His period is along with the period of the Legislative Assembly. In Representation of Peoples Act, 1951 the limitation for filing an election petition is 45 days from the date of election. For that purpose this section is relevant.

In Sarvadh Kar Vs. State of Orissa Legislative Assembly, 1952 Orissa, 231, the scope of this very question has been widened even further. There this opinion has been given that the date on which the first meeting of the members is called could not be said to be the date of the commencement of the session. Its session would begin from the date on which its members have taken oath. The learned advocate General for the opposite party referred to K. K. Abu Vs. Union of India (A I R. 1965, Karala, 229) in which it was held that once an assembly has been constituted in accordance with the notification issued under section 73 of the Representation of Peoples Act, its dissolution could be ordered even before calling the meeting of the assembly. Form this he contends that even without calling the meeting of the Legislative Assembly, it is a reality that is really a body in existence and so are its members. This contention is not correct. when an assembly is constituted, it can also be dissolved but it does not mean that it is competent to start functioning. It become competent to function only at the time when its first meeting is called and when its members have taken the oath.

It will also be proper to mention Article 193 of the Constitution. It provides that if any person sits or votes Rg. member of the Legislative Assembly before he has complied with the requirement, of Article 188, he shall be liable in respect of each day on which he so sits or votes a penalty of Rs. 500 which is to be recovered as a debt due to the State. Hence the requirement is not for merely sitting in the Legislative Assembly. If he votes even as a member without taking oath he would be liable for the penalty under Article 193. This article does not provide that voting would be held only within the precincts of the house of the Legislative Assembly He votes in the election for thte Council of States only in his capacity as a member of the State Legislative Assembly. Thus it is clear that so long as a member does not take the prescribed oath under the Constitution, he, in reality, cannot be said to be a member of the Legislative Assembly. Thus a nomination paper given by such a member should have been rejected as not accentable. Hence, the order of the returning officer accepting the nomination paper was invalid.

Issue No. 5(a) The validity of the Electoral Roll has been challenged on behalf of the petitioner of four main grounds (1) the election of members of the assembly was invalid, (2) the names of the members should not have been included in this roll without taking oath, (3) the preparation of the electoral roll by Sri S. P. Singh was invalid, (4) this electoral roll was prepared pre-maturely and opportunity was not given for such member to give their option, who had been elected from two places.

So far as ground No. 1 is concerned it has not been found correct in issue No. 6. The election of the member was valid.

This fact under ground No. 3 is correct that the appointment of Sri S. P. Singh as Returning Officer was invalid but it does ot affect the preparation of the electoral roll as there was not much scope for the discretion of Sri S. P. Singh for the names to be recorded in this electoral roll. Here the names of only those persons are recorded who had been declared elected as members in the gazette.

Ground No. 4 has also no importance, as no example has been cited on behalf of the tpetitioner that there was any member who had been elected from two places.

Ground No. 2 was partly correct and partly wrong. This is correct, as held in issue No. 3 (a) that without taking the oath, the elected member cannot take part in the election process. Hence on the date of filing nomination papers, this electoral roll was invalid as the names of members were recorded there in without their taking oath. But on the date on which poll took place, as members had taken oath, the electoral roll became valid at that time. This issue is disposed of accordingly.

Issue No. 5(b) Even this point has been disposed of under issue No. 3(a).

Issue No. 5(c) It has also been contended on behalf of opposite parties 2 to 4 that the petitioner has no right to challenge the validity of electoral roll as he had himself taken part on the same electoral roll but this contention is not correct. In Bar Council of Delhi Vs. Surjit Singh 1980 (4) S.C.C.211) it has been held that merely by taking part in the election in accordance with the Electoral Roll, the petitioner could not be stopped from challenging the validity of such a roll. Hence this objection of opposite parties is not correct.

Learned counsel for the opposite parties has also raised an objection, that the question whether the name of any person has been recorded in the electoral roll rightly or wrongly. For they cannot be raised in an election petition. Purpose of the election, the electoral roll is final. The names of the persons who had filed a nomination paper of opposite party No. 1 were recorded in the electoral roll, hence they had every right to file a nomination paper. For this purpose he has relied on R. Chandran Vs. M. V. Marappon (A.I.R. 1973 S.C. 2382) Nirependra Bahadur Singh Vs. J. R. Verma [1977(4) S.C.C. 133]. It has been held there in that when once the name of a person has been recorded in the Electoral Roll, then his qualification for taking part in an election cannot be questioned in an election petition This objection of the opposite parties is also not correct. These matters were in connection with an electoral roll which was prepared under the Representation of People Act, 1950. There a procedure has been given for inclusion or removal of name of any person in the electoral roll. If no objection is filed within the prescribed period, the electoral roll becomes final but for election of the Council of States, the electoral roll is not prepared under the Representation of People Act. 1950. For this provision is made in Conduct of Flection Rules, 1961. Electoral roll has been defined in Rule 2(c). According to it electoral rolls in relation to election by member of Legislative Assembly means a list maintained under section 152 by the Returning Officer for that election. section 152 of the Representation of People Act 1951 provide that Returning Officer would maintain in his office in the prescribed manner and from a list of elected members Here there is no provision for filing objection against such a list before election. In this case the returning officer had given notice of the election programme on 17-6-80 wherein 24th June, 1980 was given as the date for filing the nomination paper. There is no provision for filing objection against the electoral roll. The electoral roll was itself circulated on 19th June 1980. Hence in case where no procedure has been prescribed for giving finality to an electoral roll for the election, there its validity or the inclusion of any name therein can be raised in an election petition.

Issue No. 2(c): Learned counsel for the petitioner contends that when the appointment of opposite party No. 5 as Returning Officer is invalid the election conducted by him is also void.

Learned Advocate General on behalf of the opposite parties says that the ground for declaring an election void have been given in section 100(1) of the Representation of People Act, 1951. The above-mentioned defect can be covered under sub-clause (d)(iv). According to this clause the election can be declared void only when by not following any provision, the result of the election has been materially affected but there is neither any pleading in that connection nor there is any evidence. There is a great difference in the votes polled by both. The petitioer has got only, 41, while opposite party No. 1 has got 325 votes

Learned counsel for the petitioner contends that Returning Officer is the main functionary for any election. All the process of election take place under his direction and control and if his appointment is invalid, a presumption can be raised that this defect has materially affected the result to Bar Council of Delhi (Supra, 1980(4) S.C.C. 211. In this case the wrong preparation of electoral roll was held to be a material defect affecting the election. That is also clear because if the names are not properly recorded in the electoral roll, how could there be a valid election.

In this case there is of course, no defect like that of an electoral roll, but the matter is almost similar. There also does not appear to be any effect on the number of votes polled by the two candidates--by any action of the Returning Officer but it could have effect on one point which could change the entire course of the election. The Returning Officer has power to accept or reject a nomination paper. It was possible that another officer might have accepted the objection raised by the petitioner about the validty of the nomination paper of opposite party No. 1. The objection raised by the petitioner was not groundless and rather what he has said is being accepted by this Court. Therefore, there is force in this contention of the petitioner that the appointment of opposite party No. 5 has materially affected the result of the election. Hence such an election is liable to be set a side.

Issue No. 3(b) : The objection raised on behalf of opposite parties is groundless. A principle of estoppel cannot be raised in such cases of election petition as held by the Supreme Court in Bal Council Vs. Surjit Singh [1980 (4) S.C.C. 211] (Supra). otherwise also the principle of estoppel applies in these cases where opposite party No. 1 has made any change in his position as a result of any action of the petitioner. Opposite party No. 1 has not done any such thing. The petitioner and opposite party No. 1 both had filed their nomination papers independent of each other. Hence the petitioner cannot be stopped from raising an objection concerning issue No. 3(a) on the ground that he was so nominated like opposite party No. 1 by such members who had not taken oath till then. Hence this issue is decided against opposite parties.

Issue No. 4 : It is true that the ground due to which nomination paper of opposite party No. 1 has been found invalid also applies to the petitioner. He had also been nominated by such members who had not taken oath, hence his nomination paper has also become invalid.

Learned counsel for opposite parties, therefore, contends that accordingly, the petitioner also did not remains a candidate as per its definition given in section 79(b) of the Representation of People Act, 1951 and, therefore, he was not entitled to file this election petition under section 81. This contention is also not correct. Section 79 (b) defines a candidate as follows :—

> "A candidate means a person who has been or claims to have been duly nominated as a candidate at any election."

under section 81, an election petition may be prevented by any candidate at such election. Along with this the provisions of section 36(8) should also be seen. It provides :

> "Immediately after all the nomination papers have been scrutinised and decisions accepting or rejecting the case have been recorded, the Returning Officer shall prepare a list of validity nominated candidates that is to say, candidates whose nominations have been found valid, and affix it to his notice board.'

Hence it is clear from section 79(b) read with S. 36(8) of the Representation of the People Act, 1951 that section 79(b) refers to only those candidates whose nomination papers have been found valid. Such candidates alone can take part in the election. According to section 81 a candidate at such an election i.e. one who has taken part in the election can file an election petition. This court and the Supreme Court have also taken the same view. This Court in Chaturbhuj Vs. Election Tribunal (A.I.R. 1958 Alld 809) while interpreting the word candidate in section 79 (b) says the word 'candidate' include" every person who has been duly nominated as a candidate at any election" and this expression is wide enough to include any candidate who may have withdrawn his candidature under S. 37 of the Act. This question can be decided later by the Election Tribunal whether the nomination paper of any candidate was not validly acceptable. But the fact of his being a candiadte at such an election cannot be disputed Supreme Court in Keshao Lakshman Vs. D. Deo Rao (AIR 1960, S.C. 131) (para 5) has said the same thing.

"It is true, that the acceptance of a nomination paper after scrutiny is not final or conclusive but can be set a side, by the Election Tribunal, but the acceptance of the nomination paper under S. 36(8) makes the candidate, whose nomination paper is accepted after scrutiny, a validly nominated candidate at least for the purpose of receiving of votes at least for the purpose of further reinforced by the provisions of R 58 which provide that every ballot paper which is not rejected under R 57 should be deemed to be valid and must be counted. The question of throwing away of vote, therefore, cannot arise, in the absence of some special pleading that particular voter had cast their votes with knowledge or notice that the candidate for whom they had voted was not eligible for election and that consequently they had deliberately thrown away their votes in favour of the disqualified person."

If the contention of the learned coused for the opposite parties be accepted such a person would not be in a position to take any action against any election for according to section 329 (b) of the Constitution no election could be called in question except by an election petition.

Hence the petition whose nomination papers had been accepted was entitled to file an election petition. The only effect of the nomination paper of petitioner being accepted is that no relief in his favour for being elected could be given. He has also not made such a prayer. Hence this issue is decided in favour of the petitioner.

Issue No. 7 : I view of the findings given in issue No. 2(c) 3(a) and 5, the petitioner is entitled to the reilef claimed. Hence this is declared that the election of opposite party No. 1 Sri Pashu Pati Nath Shukla as member for the Council of States is void. The petitioner is entitled to get cost of this petition from opposite party No. 1. The amount of the costs is fixed at Rs. 500 (five hundred) only.

MAHAVIR SINGH, J.

[No. 82/UP/7/80(Lko)]

O. N. NAGAR, Under Secy.

July 10, 1981.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATION, DELHI-110054, 1981